

अध्याय V

सीबीआईसी में कारण बताओ नोटिस (एससीएन) एवं अधिनिर्णयन प्रक्रिया


5.1 प्रस्तावना

अधिनिर्णयन केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के विभागीय अधिकारियों का एक अर्ध-न्यायिक कार्य है। अधिनिर्णयन के पश्चात् एक उपयुक्त शास्ति लगाने के माध्यम से विभाग यह सुनिश्चित करना चाहता है कि लागू कानूनों तथा नियमों के उल्लंघन के कारण कोई राजस्व हानि न हो जिसके परिणामस्वरूप कर का भुगतान न होना/कम भुगतान होना, गलत प्रतिदाय, सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ आदि हुआ। यह अनिवार्य है कि यदि विभाग निर्धारिती के लिए नुकसानदेह कोई कार्यवाही करने पर विचार करता है तो कारण बताओ नोटिस (एससीएन) जारी किया जाए। एससीएन में कथित रूप से उल्लंघन किए गए कानून के प्रावधानों का विवरण होगा तथा यह नोटिसी से कारण बताने को कहेगा कि अधिनियम/नियमावली के संगत प्रावधानों के तहत उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही क्यों नहीं की जानी चाहिए। इस प्रकार, एक एससीएन नोटिसी को उसके मामले को प्रस्तुत करने का एक अवसर देता है।

5.2 एससीएन तथा अधिनिर्णयन प्रक्रिया

तीन अधिनियमों अर्थात् केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944, वित्त अधिनियम, 1994 तथा सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के तहत एससीएन जारी करने तथा उनके अधिनिर्णयन की प्रक्रिया नीचे संबंध चार्ट में वर्णित की गई है;


चार्ट 5.1
एससीएन तथा अधिनिर्णयन प्रक्रिया



चार्ट-5.2 में केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर तथा सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) का संगठनात्मक चार्ट दर्शाया गया है। 31 मार्च 2019 तक सीबीआईसी को 21 जोन, 107 कार्यकारी कमिश्नरियों, 725 डिविजनों तथा 3,785 रेंजों का समर्थन प्राप्त था। इसके अतिरिक्त, 71 अन्य इकाइयों के साथ 48 लेखापरीक्षा

कमिश्नरियां थीं। चार्ट-5.3 में अधिनिर्णयन⁶⁸ के संबंध में मौद्रिक सीमाएं दर्शाई गई हैं

चार्ट 5.2
एससीएन एवं अधिनिर्णयन प्रक्रिया हेतु संगठनात्मक संरचना



चार्ट 5.3
एससीएन के अधिनिर्णयन हेतु मौद्रिक सीमा

आयुक्त	• दो करोड़ रूपए से अधिक के मामले
अपर/संयुक्त आयुक्त	• पचास लाख से अधिक परन्तु दो करोड़ रूपए से अधिक नहीं
उप/सहायक आयुक्त	• दस लाख से अधिक परन्तु पचास लाख रूपए से अधिक नहीं
अधीक्षक	• दस लाख रूपए से से अधिक नहीं

⁶⁸ मास्टर सर्कुलर नंबर 1053/02/2017-सीएक्स दिनांक 10 मार्च 2017 के अनुसार

5.4 पूर्ववर्ती लेखापरीक्षाओं के परिणाम

हमने विव 12 से विव 14 की अवधि को कवर करते हुए विव 15 में विभाग की एससीएन तथा अधिनिर्णयन प्रक्रिया की जांच की थी। इसे 2016 की प्रतिवेदन संख्या 1 (सेवाकर) के अध्याय-II तथा 2016 की प्रतिवेदन संख्या 2 (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) के अध्याय-V में सम्मिलित किया गया। इस जांच के मुख्य परिणाम में अन्य बातों के साथ-साथ एससीएन जारी करते समय विस्तारित समयावधि की गलत मांग भी थी जिसके परिणामस्वरूप मांग का समयबाधित होना, एससीएन के अधिनिर्णयन में विलंब, अनुबंधित अवधि के अन्दर अधिनिर्णयन आदेश जारी नहीं हुआ तथा कॉल बुक मामलों की गैर-आवधिक समीक्षा के परिणामस्वरूप कॉल बुक मामलों का अनियमित अवरोधन हुआ।

मंत्रालय ने अपनी की गई कार्रवाई टिप्पणी (एटीएन) (जून 2016) में कहा कि सभी क्षेत्रीय संरचनाओं को समय पर एससीएन जारी करने तथा विभिन्न चरणों में विलंब को कम करने और एससीएन की प्रक्रिया के लिए कठोर निगरानी करने के निर्देश दिए गए थे ताकि सरकारी राजस्व तथा निर्धारिती दोनों के हित सुरक्षित हो। मंत्रालय ने आगे कहा (मार्च 2017) कि एससीएन एवं अधिनिर्णयन प्रक्रिया के लिए एक मास्टर परिपत्र दिनांक 10 मार्च, 2017 जारी किया गया था जिसमें कथित परिपत्र के पैरा 3.1 से 3.7 में निर्धारित अनुसार एससीएन जारी करने हेतु समय-सीमा के कठोर अनुपालन तथा सीमांकन की विस्तारित अवधि के अधिकार सहित मांग का प्रावधान था। इसके अलावा परिपत्र का पैरा 14.10 यह वर्णित करता है कि उन सभी मामलों जहां व्यक्तिगत सुनवाई समाप्त हो गई है, में जितना शीघ्र संभव हो परन्तु किसी भी मामले में एक माह के बाद नहीं, असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर फाइल में दर्ज करते हुए निर्णय सूचित करना अनिवार्य है।

हमने मंत्रालय के उत्तर का अनुसरण किया तथा इस लेखापरीक्षा के दौरान की गई कार्यवाही टिप्पणी (मार्च 2017) में मंत्रालय के आश्वासन के बावजूद एससीएन जारी करने तथा अधिनिर्णयन प्रक्रिया के संबंध में निरन्तर अनुपालन के उल्लंघन देखे। लेखापरीक्षा निष्कर्षों को आगामी पैराओं में बताया गया है।

5.5 लेखापरीक्षा उद्देश्य:

इस लेखापरीक्षा में, हमने निम्नलिखित की जांच की:

- क) अधिनिर्णयन प्रक्रिया के संबंध में समय-समय पर जारी नियमों, विनियमों, अधिसूचनाओं, परिपत्रों/निर्देशों आदि की पर्याप्तता;
- ख) क्या एससीएन जारी करने तथा अधिनिर्णयन प्रक्रिया के संबंध में कानून तथा नियमों के मौजूदा प्रावधानों का पर्याप्त रूप से अनुपालन किया जा रहा था;
- ग) क्या विभाग द्वारा समय पर सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी मॉनीटरिंग तथा आन्तरिक नियंत्रण तंत्र था।

5.6 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र, लेखापरीक्षा मापदंड तथा लेखापरीक्षा नमूना

5.6.1 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र

लेखापरीक्षा के दौरान, हमने विव 17 से विव 19 तक की अवधि के एससीएन तथा अधिनिर्णयन प्रक्रिया से संबंधित विभागीय कार्यालयों द्वारा बनाई एससीएन फाइलों, रजिस्ट्रों तथा मासिक विवरणी की जांच की थी।

5.6.1.1 लेखापरीक्षा नमूना

हमने लेखापरीक्षा के लिए विभागीय इकाईयों की पहचान के लिए एक जोखिम आधारित नमूना पद्धति का अनुसरण किया। हमने स्तरीकृत यादृच्छिक नमूनाकरण के आधार पर एक जोन में कमिश्नरियों की संख्या के आधार पर प्रत्येक सीजीएसटी जोन से एक से तीन कार्यकारी कमिश्नरियों का चयन किया। ऐसे जोन जहां कार्यकारी कमिश्नरियों की संख्या 1 से 5 हैं, में एक कमिश्नरी का चयन किया गया है। ऐसे जोन जहां कार्यकारी कमिश्नरियों की संख्या 5 से 10 है, वहां दो कमिश्नरियों का चयन किया गया है। ऐसे जोन जहां कार्यकारी कमिश्नरियों की संख्या दस से अधिक है, वहां तीन कमिश्नरियों का चयन किया गया है। कार्यकारी कमिश्नरियों के अतिरिक्त, प्रत्येक जोन से एक लेखापरीक्षा कमिश्नरी तथा लेखापरीक्षा के लिए डीजीजीएसटीआई मुख्यालय के अतिरिक्त महानिदेशक माल एवं सेवा कर आसूचना (डीजीजीएसटीआई) (पहले डीजी सीईआई) की एक जोनल इकाई का चयन किया गया था।

लेखापरीक्षा के लिए चयनित विभागीय इकाइयों का ब्यौरा नीचे तालिका 5.1 में दिया गया है-

तालिका संख्या 5.1: यूनीवर्स तथा विभागीय इकाइयों के नमूने

इकाइयों के प्रकार	इकाइयों की कुल संख्या	नमूने के रूप में चयनित इकाइयां
कार्यकारी कमिश्नरी (सीजीएसटी)	107	28 कमिश्नरी (28 डिवीजन और उनके अधीन 26 रैंज सहित वहां के तहत)
लेखापरीक्षा कमिश्नरी	48	20
डीजीजीएसटीआई की जोनल इकाइयां	25	14 (डीजीजीएसटीआई मुख्यालय सहित)

हमने डीजीजीएसटीआई, नई दिल्ली⁶⁹ सहित कार्यकारी कमिश्नरी, लेखापरीक्षा कमिश्नरी तथा जीएसटीआई की जोनल इकाइयों के तहत 116 इकाइयों का चयन किया है।

इसके अलावा चयनित इकाइयों में उपलब्ध एससीएन संबंधी फाइलों के नमूने यादृच्छिक नमूनाकरण के आधार पर विस्तृत जांच हेतु लिए गए थे। ध्यानकेन्द्रित लेखापरीक्षा क्षेत्रों के लिए लेखापरीक्षा यूनीवर्स तथा नमूने का ब्यौरा नीचे तालिका 5.2 में दिया गया है:

⁶⁹ गाजियाबाद, इलाहाबाद, जमशेदपुर, अहमदाबाद उत्तर, राजकोट, वडोदरा II, जयपुर, मुंबई दक्षिण, मुंबई पश्चिम, रायगढ़, पुणे II, नासिक, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, त्रिची, चेन्नई उत्तर, तिरुवनंतपुरम, जालंधर, गुरुग्राम, भोपाल, बेंगलुरु ईस्ट, मंगलौर, कोलकाता उत्तर, हावड़ा, गुवाहाटी, अगरतला, दिल्ली साउथ, कानपुर ऑडिट, मेरठ II ऑडिट, अहमदाबाद ऑडिट, वडोदरा ऑडिट, जयपुर ऑडिट, रायगढ़ ऑडिट, पुणे II ऑडिट, नासिक ऑडिट, हैदराबाद I ऑडिट, विशाखापट्टनम ऑडिट, भुवनेश्वर ऑडिट, चेन्नई I ऑडिट, कोच्चि ऑडिट, लुधियाना ऑडिट, गुरुग्राम ऑडिट, दिल्ली II ऑडिट, भोपाल ऑडिट, बेंगलुरु I ऑडिट, कोलकाता I ऑडिट, गुवाहाटी ऑडिट, डीजीआई मुख्यालय दिल्ली, लखनऊ डीजीजीआई, अहमदाबाद डीजीजीआई, जयपुर डीजीजीआई, पुणे डीजीजीआई, हैदराबाद डीजीजीआई, विशाखापट्टनम डीजीजीआई, भुवनेश्वर डीजीजीआई, चेन्नई डीजीजीआई, लुधियाना डीजीजीआई, भोपाल डीजीजीआई, बेंगलुरु डीजीजीआई, कोलकाता डीजीजीआई और गुवाहाटी डीजीजीआई।

तालिका संख्या 5.2: विस्तृत जांच हेतु चयनित फाइलों के समष्टि तथा नमूने

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	ध्यान केन्द्रित क्षेत्र	अवधि	लेखापरीक्षा यूनीवर्स	लेखापरीक्षा नमूना		जनसंख्या के % के रूप में नमूना
				सं.	धनराशि	
1.	अधिनिर्णयन हेतु लंबित एससीएन ⁷⁰	31 मार्च 2019 को	11,723	4,457	29,672.96	38
2.	अधिनिर्णीत एससीएन	विव 17 से विव 19	8,766	3,335	17,208.40	38
3.	कॉल बुक में लंबित एससीएन	31 मार्च 2019 को	5,491	2,191	13,308.02	40
4.	रिमांड बैंक केस	विव 17 से विव 19	748	622	3,358.21	83
5.	एससीएन की छूट	विव 17 से विव 19	17,095	1,020	1,155.69	6
6.	जारी करने के लिए लंबित ड्राफ्ट एससीएन (डीएससीएन)	31 मार्च 2019 को	203	203	1,282.80	100
7.	सीईआरए ऑडिट आपत्तियां	विव 17 से विव 19	1,079	373	912.15	35
8.	जीएसटी की पुनः संरचना के कारण हस्तांतरित एससीएन एवं डीएससीएन	जुलाई 2017 से मार्च 2019	551	500	523.26	91

5.6.2 लेखापरीक्षा मानदण्ड

लेखापरीक्षा मानदण्ड में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944, वित्त अधिनियम 1994 में अधिनिर्णयन संबंधी प्रावधान, बोर्ड द्वारा अपनी क्षेत्रीय संरचनाओं को जारी नियम तथा परिपत्र अर्थात् मास्टर परिपत्र संख्या 1053/02/2017-सीएक्स दिनांक 10 मार्च 2017 जिसके द्वारा इस विषय पर तीन परिपत्रों अर्थात् 984/08/2014-सीएक्स दिनांक 16 सितम्बर 2014, 137/46/2015-एस.टी. दिनांक 18 अगस्त 2015 तथा 1023/11/2016-सीएक्स दिनांक 8 अप्रैल 2016 को छोड़कर अन्य सभी परिपत्रों को रद्द किया गया, शामिल थे। जीएसटी के लिए, लेखापरीक्षा मानदण्डों में आईजीएसटी अधिनियम 2017 के अध्याय XV की धारा 73 से 84 तथा सीजीएसटी नियमावली 2017

⁷⁰ इसमें निम्नलिखित भी शामिल हैं:

- लेखापरीक्षा कमिश्नरियों द्वारा अन्य संरचनाओं को जारी तथा हस्तांतरित 1,922 एससीएन
- डीजीजीएसटीआई इकाईयों द्वारा अन्य संरचनाओं को जारी तथा हस्तांतरित 2,208 एससीएन।

के अध्याय XVIII के तहत नियम 142 से 161 में निहित अनुसार मांग तथा वसूली से संबंधित प्रावधान शामिल थे।

5.7 एससीएन के अधिनिर्णयन में विभाग का निष्पादन

5.7.1 अधिनिर्णयन हेतु लंबित एससीएन की प्राप्ति, निपटान तथा अन्तः शेष

6 अगस्त 2014 से प्रभावी संशोधन के अनुसार वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 73 की उप-धारा 4बी के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11ए की उप-धारा 11(बी) के अनुसार, सामान्य मामलों में जारी एससीएन को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (सीई) एवं सेवा कर (एसटी) के संबंध में छः माह के अन्दर अधिनिर्णित किया जाना था तथा धोखाधड़ी और मिलीभगत के मामलों हेतु जारी एससीएन को सीई के संबंध में दो वर्षों तथा एसटी के संबंध में एक वर्ष में अधिनिर्णित किया जाना चाहिए।

पिछले तीन वर्षों के दौरान एससीएन की प्राप्ति, निपटान तथा अन्तः शेष का ब्यौरा नीचे तालिका 5.3 में दिया गया है:

तालिका संख्या 5.3: एससीएन की प्राप्ति, निपटान तथा अन्तः शेष

तालिका संख्या 5.3(क) - केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

राशि (₹ करोड़ में)

वर्ष	अथ शेष (एससीएन)		वर्ष के दौरान जारी एससीएन		वर्ष के दौरान निपटान किए गए		अन्तः शेष (एससीएन)		निपटान की प्रतिशतता
	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	
वि.वि.17	23,104	29,354.68	55,520	50,218.92	68,166	59,097.92	10,347	20,474.20	86.69
वि.वि.18	10,347	20,474.20	28,876	50,513.21	30,321	53,776.60	8,534	17,401.47	77.30
वि.वि.19	8,534	17,401.47	17,174	28,219.49	18,719	28,210.50	6,989	17,410.46	72.81

तालिका संख्या 5.3(ख) - सेवा कर

राशि (₹ करोड़ में)


वर्ष	अथ शेष (एससीएन)		वर्ष के दौरान जारी एससीएन		वर्ष के दौरान निपटान किए गए		अन्तः शेष (एससीएन)		निपटान की प्रतिशतता
	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	
वि.वि.17	30,453	76,123.74	54,310	67,413.25	65,702	74,594.52	19,053	68,940.78	77.51
वि.वि.18	19,053	68,940.78	35,173	70,918.42	32,349	55,931.20	22,208	81,280.44	59.65
वि.वि.19	22,208	81,280.44	44,776	1,25,740.29	34,788	92,256.81	32,196	1,14,764.40	51.93

उक्त तालिकाओं से पता चलता है कि एससीएन के निपटान ने गिरावट की प्रवृत्ति दर्शाई थी। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के संबंध में एससीएन के निपटान में विव 17 में 86.69 प्रतिशत से विव 19 में 72.81 प्रतिशत तक की गिरावट थी। इसी प्रकार, सेवा कर में एससीएन के निपटान में विव 17 में 77.51 प्रतिशत से विव 19 में 51.93 प्रतिशत तक की गिरावट थी।

5.7.2 लंबित एससीएन का समय-वार विश्लेषण

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर से संबंधित एससीएन का समय-वार लम्बन नीचे चार्ट - 5.4 में दर्शाया गया है:

चार्ट 5.4: एससीएन का समय वार लम्बन



चार्ट से यह पता चलता है कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से संबंधित 1,177 एससीएन (17 प्रतिशत) तथा सेवा कर से संबंधित 5,926 एससीएन (19 प्रतिशत) सामान्य मामलों में छः माह तथा विस्तारित समयावधि में एक वर्ष की निर्धारित समय सीमा के प्रति एक वर्ष से अधिक के लिए अधिनिर्णयन हेतु लंबित थे। विभाग ने एक वर्ष से अधिक के लंबित मामलों का आगे समय-वार ब्यौरे का रखरखाव नहीं किया।

5.8 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

निम्नलिखित तालिका 5.4 विस्तृत लेखापरीक्षा हेतु चयनित एससीएन/ अधिनिर्णयन संबंधी रिकॉर्डों के नमूनों में देखी गई विसंगतियों की सीमा का वर्णन करती है। कानून तथा नियमों से विचलन की सीमा विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए चयनित विभिन्न ध्यान केन्द्रित क्षेत्रों के लिए 0.80 प्रतिशत से 45.92 प्रतिशत तक है।

तालिका संख्या 5.4: विस्तृत लेखापरीक्षा तथा देखे गए विचलनों के लिए चयनित फाइलों के नमूने

क्रम सं.	क्षेत्र	अवधि	लेखापरीक्षा नमूना		पाई गई कमियों की संख्या	नमूने के % के रूप में कमियां
			सं.	राशि		
1.	अधिनिर्णयन के लिए लंबित एससीएन	31 मार्च 2019 को	4,457	29,672.96	1,407	31.57
2.	अधिनिर्णीत एससीएन	वि.वि.17 से वि.व.19	3,335	17,208.40	968	29.03
3.	कॉल बुक्स में लंबित एससीएन	31 मार्च 2019 को	2,191	13,308.02	1,006	45.92
4.	रिमांड बैंक केस	वि.वि.17 से वि.व.19	622	3,358.21	65	10.45
5.	एससीएन की छूट	वि.वि.17 से वि.व.19	1,020	1,155.69	32	3.14
6.	जारी करने के लिए लंबित ड्राफ्ट एससीएन (डीएससीएन)	31 मार्च 2019 को	203	1,282.80	2	0.99
7.	सीईआरए लेखापरीक्षा आपत्तियां	वि.वि.17 से वि.व.19	373	912.15	3	0.80
8.	जीएसटी पुनर्गठन के कारण हस्तांतरित एससीएन और डीएससीएन	जुलाई 2017 से मार्च 2019	500	523.26	5	1.00

तालिका 5.4 से प्रमाणित अनुसार, हमने कॉल बुक में लंबित एससीएन, अधिनिर्णयन के लिए लंबित एससीएन तथा एससीएन जिनको विव 17 से विव 19 के दौरान अधिनिर्णित किया गया था की विस्तृत लेखापरीक्षा के दौरान कानून/नियमों के उल्लंघन के विपथन की उंची दर देखी। हमने एससीएन के अधिनिर्णयन में महत्वपूर्ण विलंब, अंतिम व्यक्तिगत सुनवाई (पीएच) पूर्ण होने के पश्चात अनुबंधित अवधि के अन्दर मूल आदेश (ओआईओ) के जारी करने में विलम्ब, कॉल बुक मामलों की आवधिक रूप से समीक्षा न होना, कॉल बुक से एससीएन की पुनः प्राप्ति न होना/विलंब से पुनः प्राप्ति होना, कॉल बुक में एससीएन का गलत हस्तांतरण आदि पाए। ध्यान केन्द्रित क्षेत्र वार लेखापरीक्षा निष्कर्षों का ब्यौरा आगामी पैराग्राफ में दिया गया है।

5.9 अधिनिर्णयन हेतु लंबित एससीएन में पाई गई विसंगतियां

चयनित 116 कार्यालयों में 31 मार्च 2019 तक अधिनिर्णयन हेतु 11,723 एससीएन लंबित थे। हमने ₹ 29,672.96 करोड़ की धनराशि वाले 4,457 एससीएन की जांच की तथा ₹ 12,162.53 करोड़ की धनराशि वाले 1,407 एससीएन (31.57 प्रतिशत) में अनियमितताएं देखी। देखी गयी विसंगतियां एससीएन में मांग की गलत संगणना, अधिनिर्णयन में विलम्ब तथा मुकदमेबाजी को कम करने के लिए कार्रवाई न करने आदि से संबंधित हैं। जैसा कि नीचे तालिका 5.5 में विवरण दिया गया है:

तालिका संख्या 5.5: अधिनिर्णयन हेतु लंबित एससीएन में देखी गई विसंगतियां

क्रम सं.	कमी के प्रकार	कमियों की संख्या	धन मूल्य (₹ करोड़ में)	नमूने के % में कमियां (संख्या)
1.	एससीएन में मांग की गलत संगणना के परिणामस्वरूप कम मांग की गई	161	36.63	3.61
2.	एससीएन को विलम्ब से जारी करना जिसके फलस्वरूप मांग अधिनिर्णयन में समयबाधित हो सकती है	71	30.17	1.59
3.	अधिनिर्णयन में विलम्ब	373	4,310.17	8.37
4.	निपटान आयोग के संबंध में सूचना न होना	768	7,658.32	17.23
5.	विस्तारित अवधि का गलत उपयोग	2	3.19	0.04
6.	एससीएन तैयार करने में अत्यधिक विलम्ब	23	94	0.52
7.	जांच को अंतिम रूप देने में विलम्ब की वजह से कम मांग किया जाना	6	30.05	0.13
8.	एससीएन को गलत जारी करना	3		0.07
	पाई गई कुल विसंगतियां	1,407	12,162.53	31.57
	लेखापरीक्षा द्वारा जांच किए गए कुल मामलों	4,457	29,672.96	
	चयनित इकाइयों में अधिनिर्णयन हेतु लंबित कुल मामलों	11,723		

5.9.1 एससीएन में मांग की गलत संगणना के परिणामस्वरूप मांग कम की गयी

116 चयनित कार्यालयों में जांचे गए 4,457 मामलों में से संबंधित अभिलेखों का सत्यापन न होने, कर की गलत दर अपनाने और आयकर विवरणी/स्रोत पर काटे गए कर के डाटा का सत्यापन न होने आदि के कारण, सात कमिश्नरी⁷¹ चार लेखापरीक्षा कमिश्नरी⁷² और एक डीजीजीएसटीआई जोनल इकाई⁷³ में हमने 168 एससीएन (3.77 प्रतिशत) में ₹ 54.62 करोड़ की मांग का कम किया जाना देखा।

⁷¹ भोपाल, चेन्नई उत्तर, हावड़ा, मुंबई दक्षिण, मुंबई पश्चिम, पुणे-II और रायगढ़

⁷² पुणे, भोपाल, नासिक और रायगढ़

⁷³ भोपाल

जब हमने यह बताया (नवंबर 2019 से दिसंबर 2019) मंत्रालय ने 141 मामलों में तथ्यों को स्वीकार किया (दिसम्बर 2020)। 17 मामलों में मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभियुक्तियों को स्वीकार नहीं किया। शेष तीन मामलों में मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2020)।

एक निदर्शी मामला नीचे दिया गया है:

5.9.1.1 एससीएन जारी करना एक सांविधिक आवश्यकता है और यह कर देयता से संबंधित किसी भी विवाद के निपटारे या अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए की जाने वाली किसी दंडात्मक कार्रवाई के लिए मूल दस्तावेज है। बोर्ड ने मुख्य परिपत्र (मार्च 2017) में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी दोहराया था कि एससीएन से पार्टी के विरुद्ध किसी भी कानूनी कार्यवाही की शुरुआत होती है इसलिए इसका मसौदा अत्यंत सावधानी के साथ तैयार किया जाना चाहिए। परिपत्र में यह स्पष्ट किया गया है कि नोटिसी से देय राशियों की संगणना करने के सिद्धांत और तरीके एससीएन में स्पष्ट रूप से निर्धारित किए गए हैं।

पुणे ॥ कमिश्नरी में, प्रदान की गयी निर्माण कार्य संविदा सेवा के संबंध में छूट और कमी का अनियमित लाभ उठाने के लिए अक्टूबर 2018 में एक निर्धारिती को एक एससीएन जारी किया गया था। लेखापरीक्षा जाँच से पता चला कि विभाग ने एसटी-3 विवरणी में दर्शाए गए ₹ 52.55 करोड़ के बजाय ₹ 46.68 करोड़ पर प्रदान की गयी सेवा का सकल मूल्य गलत तरीके से अपनाया। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप स्वीकार्य कमी अनुमत करने के बाद कर योग्य सेवा का ₹ 4.21 करोड़ तक कम निर्धारण हुआ, जिसके फलस्वरूप ₹ 0.79 करोड़ के सेवा कर का कम उद्ग्रहण हुआ।

जब हमने इसके बारे में बताया (नवम्बर 2019), मंत्रालय ने अभियुक्ति को स्वीकार न करते हुए कहा (दिसम्बर 2020) कि एससीएन उन बीजकों पर आधारित था जो सरकारी विभागों को जारी किये गये थे। मंत्रालय का उत्तर अस्वीकार्य है क्योंकि एससीएन के परिशिष्ट में वे बीजक भी शामिल हैं जो उन ग्राहकों को जारी किये गये थे जो कि सरकारी विभाग नहीं थे।

5.9.2 एससीएन का विलम्ब से जारी किया जाना जिस के परिणामस्वरूप अधिनिर्णयन में मांगसमय बाधित हो सकती है या अंशकालिक मांग छोड़ी जा सकती है

चार कार्यकारी कमिश्नरी⁷⁴ और एक लेखापरीक्षा कमिश्नरी⁷⁵ में हमने पाया कि 116 चयनित कार्यालयों में जांच किए गए 4,457 मामलों में से 70 मामलों (1.57 प्रतिशत) में एससीएन देर से जारी किए गए, जिसके परिणामस्वरूप अधिनिर्णयन में समय- बाधित मांग की घोषणा हो सकती है। इसके अलावा, हमने एक मामले में एससीएन में अंशकालिक मांग का छोड़ा जाना भी देखा। इस प्रकार, एससीएन के देर से जारी होने के कारण 71 एससीएन में ₹ 30.17 करोड़ की समग्र मांग समय-बाधित हो सकता है।

जब हमने यह (नवंबर 2019 से दिसंबर 2019) बताया तो मंत्रालय ने एक मामले में तथ्यों को स्वीकार किया और शेष मामलों में तथ्यों को स्वीकार नहीं किया (दिसम्बर 2020)।

एक निदर्शी मामला नीचे दिया गया है:

5.9.2.1 बेंगलुरु लेखापरीक्षा- कमिश्नरी के आंतरिक लेखापरीक्षा दल (आईएपी) ने जनवरी 2015 से मार्च 2016 के दौरान दी गई सेवाओं पर सेवा कर का भुगतान न करने से संबंधित एक निर्धारिती पर एक अभियुक्ति की थी, जो एक विदेशी कंपनी, उसकी प्रमुख कंपनी को मध्यवर्ती के रूप में मानते हुए गलत तरीके से ₹ 675.46 लाख की राशि को निर्यात के रूप में मानते हुए थी। पैरा को शुरू में जनवरी 2017 में आयोजित निगरानी समिति की बैठक (एमसीएम) में प्रस्तुत किया गया था और मई 2017 में आयोजित एमसीएम में इसकी पुष्टि की गई थी। हालांकि, एससीएन की तैयारी के समय, आईएपी ने महसूस किया कि विपणन सेवाओं और बिक्री के बाद सहायक सेवाओं के करारों को उनकी प्रमुख कंपनी (1 अप्रैल 2015) के साथ किए जाने से पहले ही निर्धारिती विपणन सेवाएं प्रदान कर रहा था। इस पहलू की जांच करने के लिए इस मुद्दे को आगे की जांच के लिए सितंबर 2017 में एमसीएम में हुई चर्चा के बाद कार्यकारी कमिश्नरी को हस्तांतरित कर दिया गया था।

⁷⁴ इलाहाबाद, कोलकाता उत्तर, गुवाहाटी, और पुणे-॥

⁷⁵ बेंगलुरु लेखापरीक्षा

यह देखा गया कि आंतरिक लेखापरीक्षा की तारीख से 35 माह बीत जाने के बावजूद आज तक कोई एससीएन जारी नहीं किया गया था। सामान्य अवधि के भीतर एससीएन जारी करने की तारीख 29 अक्टूबर 2018 को समाप्त हो गई थी, इसलिए पूरी मांग के समय-बाधित होने का खतरा था।

इसलिए आईएपी द्वारा अप्रभावी लेखापरीक्षा और मामलों की स्थिति पर लेखापरीक्षा कमिश्नरी द्वारा निगरानी की एक प्रभावी प्रणाली के अभाव/एससीएन के कार्यकारी कमिश्नरी में हस्तांतरण के कारण विलम्ब हुआ।

जब हमने इसके बारे में बताया (अक्टूबर 2019) मंत्रालय ने कहा (दिसम्बर 2020) कि एससीएन समय की विस्तारित अवधि का आह्वान करते हुए, नवम्बर 2014 से अप्रैल 2017 कि समयावधि के लिए, मई 2020 में जारी किया गया। चूंकि मार्च 2015 को समाप्त अर्धवर्ष कि एसटी-3 विवरणी दाखिल करने की अंतिम तिथि अप्रैल 2015 थी, मई 2020 में देरी से एससीएन जारी किये जाने के कारण मार्च 2015 तक के लेनदेन कि समय सीमा समाप्त हो सकती है।

5.9.3 निर्धारित समय सीमा के अन्दर एससीएन का गैर-अधिनिर्णयन

22 कार्यालयों⁷⁶ में हमने देखा कि जांच किए गए 4,457 मामलों, जिनमें ₹ 4,310.17 करोड़ के राजस्व को शामिल किया गया था, में से 373 एससीएन (8.37 प्रतिशत) पर सामान्य मामलों में छः महीने की निर्धारित समय सीमा में और विस्तारित अवधि के मामलों में एक वर्ष (एसटी)/दो वर्ष (सीएक्स) की निर्धारित समय सीमा के भीतर अधिनिर्णय नहीं लिया गया था।

जब हमने इसे (सितंबर 2019 से दिसंबर 2019) बताया तो मंत्रालय ने (दिसम्बर 2020) गुरुग्राम कमीश्नरी के साथ मामलों को छोड़कर सभी मामलों में तथ्यों को स्वीकार किया और बताया कि स्टाफ की कमी और जीएसटी लागू होने के परिणामस्वरूप अत्यधिक कार्य भार के कारण विलंब हुआ।

एक निदर्शी मामला नीचे दिया गया है:

⁷⁶ इलाहाबाद, अहमदाबाद उत्तर, भोपाल, चेन्नई उत्तर, दिल्ली दक्षिण, भुवनेश्वर, बंगलुरु पूर्व, गाजियाबाद, गुरुग्राम, हावड़ा, हैदराबाद, जालंधर, जमशेदपुर, कोलकाता उत्तर, मंगलौर, मुंबई दक्षिण, मुंबई पश्चिम, पुणे-II, रायगढ़, तिरुवनंतपुरम, वडोदरा-II और डीजीजीएसटी-I मुख्यालय दिल्ली।

5.9.3.1 एक निर्धारिती के मामले में, एक एससीएन जिसमें ₹ 18.08 करोड़ का शुल्क शामिल है, को सं. 574/सीई/12/2016/आईएनवी दिनांक 04 अक्टूबर, 2016 के तहत जारी किया गया था। निर्धारिती ने एससीएन के विरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की, जिसने उक्त एससीएन को रद्द करने का आदेश (जनवरी 2017) दिया और स्पष्ट रूप से प्रस्तावित मांगों निर्धारित करने के बाद नए सिरे से एससीएन जारी करने का निर्देश दिया। विभाग ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय (मई 2017) में अपील दायर की। उच्चतम न्यायालय (दिसंबर 2017) ने एससीएन को पुनः स्थापित कर दिया था और प्रक्रिया के अनुसार अधिनिर्णयन कार्यवाही करने का आदेश दिया था। लेखापरीक्षा के दौरान हमने देखा कि विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है या मामले पर सितंबर 2019 तक अर्थात् सर्वोच्च न्यायालय के आदेश जारी होने की तारीख से 22 महीने से अधिक समय के बाद भी अधिनिर्णय देने के लिए व्यक्तिगत सुनवाई नियत नहीं की गयी।

जब हमने यह बताया (सितंबर 2019), तो मंत्रालय ने (दिसम्बर 2020) लेखापरीक्षा अभियुक्ति को स्वीकार करते हुए बताया कि देरी के मुख्य कारण स्टाफ की कमी, अत्यधिक कार्य व जीएसटी का लागू होना है। हालांकि लंबित मामलों को कम किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

5.9.4 निपटान आयोग के माध्यम से मामलों के निपटारे के संबंध में सूचना न देना

सीबीआईसी द्वारा जारी मुख्य परिपत्र दिनांक 10 मार्च 2017 के पैरा 14.1 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक कारण बताओ नोटिस एक पत्र के साथ भेजा जाना चाहिए, जिसमें कहा गया है कि निर्धारिती निपटान आयोग के माध्यम से मामले के निपटान के लिए संपर्क कर सकते हैं। जहां नोटिसी निपटान आयोग से संपर्क करता है, वहां मामले को कॉल बुक में हस्तांतरित करने की आवश्यकता है जब तक कि मामले का निर्णय निपटान आयोग द्वारा नहीं किया जाता है।

27 कार्यालयों⁷⁷ में हमने देखा कि 116 चयनित कार्यालयों में जांच किए गए 4,457 मामलों में से ₹ 7,658.32 करोड़ की धनराशि के 768 मामले को, निपटान आयोग के माध्यम से मामलों के निपटारे के संबंध में कोई सूचना एससीएन के साथ नोटिसी को अग्रेषित नहीं की गयी थी।

जब हमने यह बताया (अक्टूबर से दिसंबर 2019), तो मंत्रालय (दिसंबर 2020) ने 694 मामलों में लेखापरीक्षा अभियुक्ति को स्वीकार किया और भविष्य में विभागीय निर्देशों के अनुपालन का आश्वासन दिया। शेष 74 मामलों के संबंध में उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2020)।

5.9.5 एससीएन जारी करने के लिए विस्तारित अवधि का गलत लागू करना

नोएडा लेखापरीक्षा और बेंगलुरु लेखापरीक्षा-। कमिश्नरी में, हमने देखा कि विस्तारित अवधि के लिए ₹ 3.19 करोड़ के मौद्रिक मूल्य वाले दो एससीएन जारी किए गए थे। हालांकि, विस्तारित अवधि की मांग करने के लिए घटक को एससीएन में स्पष्ट रूप से विस्तृत नहीं किया गया था, और इसलिए अधिनिर्णयन के समय विस्तारित अवधि की मांग को अवैध ठहराया जा सकता है जिसके परिणामस्वरूप अधिनिर्णयन में मांग को समय-बाधित घोषित किया जा सकता है।

मंत्रालय ने ऑडिट अभियुक्ति को स्वीकार न करते हुए कहा (दिसम्बर 2020) कि दोनों मामलों में विस्तारित अवधि का आह्वान सही था। मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निर्धारितियों कि एसटी-3 विवरणी में चूक पहले से ही प्रतिबिंबित हो रही थी, अतः विस्तारित अवधि का आह्वान सही नहीं था।

⁷⁷ अगरतला, अहमदाबाद उत्तर, चेन्नई उत्तर, दिल्ली दक्षिण, गाजियाबाद, गुरुग्राम, गुवाहाटी, हावड़ा, हैदराबाद, जालंधर, कोलकाता उत्तर, तिरुवनंतपुरम, विशाखापट्टनम कमिश्नरी, चेन्नई लेखापरीक्षा-1, भोपाल ऑडिट गुवाहाटी लेखापरीक्षा-1, हैदराबाद लेखापरीक्षा-1, विशाखापट्टनम लेखापरीक्षा, डीजीजीएसटीआई भोपाल, डीजीजीएसटीआई चेन्नई, डीजीजीएसटीआई गुवाहाटी, डीजीजीएसटीआई हैदराबाद, डीजीजीएसटीआई कोलकाता, डीजीजीएसटीआई लखनऊ, डीजीजीएसटीआई पुणे, डीजीजीएसटीआई विशाखापट्टनम और डीजीजीएसटीआई मुख्यालय दिल्ली।

5.9.6 एससीएन को तैयार करने और अंतिम रूप देने में असामान्य विलंब

नासिक लेखापरीक्षा कमिश्नरी में ड्राफ्ट एससीएन रजिस्टर से यह देखा गया कि 23 ड्राफ्ट एससीएन को अंतिम रूप देने में 119 से लेकर 1,435 दिनों तक का असामान्य विलंब हुआ। इससे अंततः अधिनिर्णयन में विलम्ब हुआ और सरकारी राजस्व में ₹ 94 करोड़ का परिणामी अवरोधन हुआ। ड्राफ्ट एससीएन को तैयार करने और अंतिम रूप देने में विलंब का कारण आमतौर पर लेखापरीक्षा कमिश्नरी द्वारा नियमित अनुवर्ती कार्रवाई के अभाव के कारण हुआ।

जब हमने यह बताया (दिसंबर 2019), तो मंत्रालय ने कहा (दिसम्बर 2020) कि ड्राफ्ट एससीएन लेखापरीक्षा समूहों से प्राप्त होता है, और चूंकि वे लगातार फील्ड इयूटी पर हैं, तो स्पष्टीकरण, यदि कोई हो मुख्यालय में लौटने के बाद उनसे प्राप्त होते हैं। इसके अलावा, प्रश्नों के अनुपालन के लिए, लेखापरीक्षा समूहों को निर्धारितियों से जानकारी प्राप्त करनी होती है। कमिश्नरी ने आगे बताया कि दिसंबर, 2016 के बाद से जहां मांग ₹ 50 लाख से ज्यादा है, वहां पूर्व एससीएन परामर्श किया जाना था। इन कारकों के कारण एससीएन जारी करने में कुछ समय लगा, हालांकि पार्टी को इसे समय पर जारी किया गया।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि 119 से लेकर 1435 दिनों तक एससीएन को अंतिम रूप देने में काफी विलंब हुआ था जिससे बाद में अधिनिर्णयन में विलंब हुआ और सरकारी राजस्व का अवरोधन हुआ।

5.9.7 जांच को अंतिम रूप देने में विलंब के कारण कम मांग करना

डीजीजीएसटीआई जोनल यूनिट पुणे में हमने जांच को देर से अंतिम रूप देने के कारण चयनित 116 कार्यालयों में जांच किए गए 4,457 मामलों में से छः एससीएन (0.13 प्रतिशत) में ₹ 30.05 करोड़ की मांग को कम देखा। एक उदाहरण नीचे दिया गया है:

5.9.7.1 एससीएन जारी करने में असामान्य विलंब जिससे राजस्व की हानि हुई

डीजीजीएसटीआई, पुणे जोनल यूनिट (पूर्व क्षेत्रीय इकाई) ने एक निर्धारित के विभिन्न संयंत्रों से रेडी मिक्स कंक्रीट के परिवहन के लिए पारगमन मिश्रण की तैनाती पर सेवा के कराधान के लिए विव 13 में 13 मामलों में जांच शुरू की

थी। सभी 13 मामलों में, विभाग ने उक्त सेवा को कार्गो हैंडलिंग सेवा (सीएचएस) के तहत वर्गीकृत करके कर लगाने की कार्यवाही शुरू की थी और तदनुसार प्रस्ताव को अनुमोदन के लिए (सामान्य घटना रिपोर्ट के माध्यम से) मुंबई जोनल यूनिट को भेजा गया था। अक्टूबर 2013 में, मुंबई जोनल यूनिट ने राय दी कि सेवा 'मूर्त सेवा की आपूर्ति (एसटीजी) शीर्ष के तहत उचित रूप से वर्गीकरणीय थी। दिसंबर 2013 में पुन जाँच के बाद, पुणे जोनल यूनिट ने सूचित किया कि यदि इस सेवा पर 'एसटीजी' के बजाय 'सीएचएस' के तहत कर लगाया गया तो यह उचित होगा। पुणे जोनल यूनिट की ओर से यह देखा गया कि 2014 से 2016 के दौरान इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। अप्रैल, 2017 में मुंबई जोनल यूनिट से स्पष्टीकरण मिलने के बाद कार्यवाही शुरू की गई और ₹ 17.99 करोड़ की मांग करते हुए पांच एससीएन को अक्टूबर 2018 और अप्रैल 2019 के बीच विव 14 की अवधि को शामिल करते हुए आठ निर्धारितियों को जारी किया गया। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि 2013 में विभाग द्वारा 11 मामलों में ₹ 30 करोड़ के सेवा कर अपवंचन का अनुमान लगाया गया था लेकिन चूँकि जांच की कार्यवाही में असामान्य रूप से विलंब हुआ था, इसलिए विभाग मार्च 2013 से पहले की अवधि को शामिल नहीं कर सका क्योंकि वह समय बाधित हो गई थी। सभी 13 मामलों के संबंध में समय बाधित मांग लेखापरीक्षा द्वारा निर्धारित नहीं की जा सकती थी क्योंकि पूर्व अवधि के लिए प्रासंगिक रिकॉर्ड संबंधित फाइलों में उपलब्ध नहीं थे।

जब हमने यह बताया (दिसंबर 2019), तो विभाग ने उत्तर दिया (दिसंबर 2019) कि सेवा के वर्गीकरण पर विपरीत मत होने के कारण, उक्त सेवा के वर्गीकरण के संबंध में उपयुक्त स्पष्टीकरण के अभाव में इस मुद्दे को स्थगित रखा गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इस मुद्दे में शामिल राशि बहुत अधिक थी और इसलिए, सेवा के वर्गीकरण का निर्धारण करने और राजस्व का संरक्षण करने के लिए त्वरित और उचित कार्रवाई समय पर की जानी चाहिए थी।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2020)।

5.10 अधिनिर्णित एससीएन में पाई गई कमियां

चयनित 116 कार्यालयों में, विव 17 से विव 19 के दौरान 8,766 एससीएन का अधिनिर्णय हुआ था। हमने ₹ 17,208.40 करोड़ की धनराशि से जुड़े 3,335 मामलों की जांच की और 968 मामलों (29.03 प्रतिशत) में अनियमितताएं पाई जिसमें ₹ 9,006.86 करोड़ की धनराशि शामिल है। नीचे दी गई तालिका 5.6 के अनुसार एससीएन में मांग की गलत संगणना, एससीएन जारी करने के लिए विस्तारित समयावधि की गलत मांग, अधिनिर्णयन में विलंब, मुकदमेबाजी को कम करने के लिए कदम नहीं उठाने से संबंधित कमियां आदि देखी गईं:

तालिका सं. 5.6: विव 17 से विव 19 के दौरान अधिनिर्णयन एससीएन में पाई गई कमियां

क्र.सं.	कमियों के प्रकार	कमियों की सं.	धनराशि (₹ करोड़ में)	नमूने के % में कमियां (सं.)
1.	विस्तारित समयावधि को मांगना अधिनिर्णयन में अनियमित रहा	10	17.32	0.3
2.	आवधिक एससीएन जारी करने के लिए समय की विस्तारित अवधि को मांगना जो आगे की अपील में अनियमित माना जा सकता है	9	4.94	0.27
3.	एससीएन देर से जारी करने के कारण आंशिक अवधि की मांग को शामिल न करना	4	8.26	0.12
4.	मांग की गलत संगणना जिसके परिणामस्वरूप अधिनिर्णयन में मांग की कम पुष्टि हुई	15	147.81	0.45
5.	अधिनिर्णयन में विलंब	340	4,716.09	10.19
6.	अंतिम पीएच पूरा होने के बाद निर्धारित अवधि के भीतर ओआईओ जारी करने में विलंब	581	4063.89	17.42
7.	विश्वसनीय दस्तावेजों की अनुपलब्धता के कारण मांग को छोड़ना	9	48.55	0.27
	कुल पाई गई कमियां	968	9,006.86	29.03
	लेखापरीक्षा द्वारा जांचे गए कुल मामलों	3,335	17,208.40	
	चयनित इकाइयों में अधिनिर्णय वाले कुल मामले	8,766		---

5.10.1 विस्तारित समयावधि की मांग अधिनिर्णयन में अनियमित सिद्ध हुई

चार कमिश्नरी⁷⁸ में हमने देखा कि 116 चयनित कार्यालयों में जांच किए गए 3,335 मामलों में से, ₹ 17.32 करोड़ के राजस्व प्रभाव वाले 10 मामलों में एससीएन जारी करने के लिए विस्तारित समयावधि को मांग (0.30 प्रतिशत) अनियमित मानी गयी।

जब हमने यह बताया (नवंबर 2019 से दिसंबर 2019) तो विभाग ने दो मामलों में तथ्यों को स्वीकार किया। शेष आठ मामलों में उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2020)। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2020)।

एक निदर्शी मामला नीचे दिया गया है:

5.10.1.1 आंतरिक लेखापरीक्षा अभियुक्तियों के आधार पर दिसंबर 2015 में कोलकाता उत्तर कमिश्नरी में एक निर्धारिती को एससीएन जारी किया गया था और इसमें दिसंबर 2010 से अक्टूबर 2015 तक की मांग अवधि को शामिल किया गया था। हालांकि, नोटिसी ने योग्यता के साथ-साथ विस्तारित अवधि की सीमा के बिंदु पर मांग का विरोध किया। आदेश पारित करते समय अधिनिर्णयन प्राधिकारी ने उल्लेख किया कि एससीएन में मासिक ईआर-1 विवरणी प्रस्तुत न करने के कोई आरोप नहीं थे; और यह कि माल का टैरिफ वर्गीकरण, और अधिसूचना का लाभ उठाना विभाग की जानकारी में था। अधिनिर्णयन प्राधिकारी ने आगे कहा कि चूंकि एससीएन में नोटिसी के विरुद्ध धोखाधड़ी, मिलीभगत, जानबूझकर गलत बयान या तथ्यों के छिपाने का कोई आरोप नहीं लगाया गया था, इसलिए विस्तारित अवधि को मांगना न्यायोचित नहीं था। इस प्रकार, नोटिसी एससीएन (दिनांक 22 दिसंबर 2015) जारी करने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए अर्थात् दिसंबर 2014 से अक्टूबर 2015 तक अप्रदत्त/कम प्रदत्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क का भुगतान करने के लिए दायी था। ₹ 3.83 करोड़ की राशि की एससीएन में उल्लिखित शेष अवधि की मांग को विस्तारित अवधि की सीमा के कारण छोड़ दिया गया था।

हमने अक्टूबर 2019 में यह बताया था। विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2020)। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2020)।

⁷⁸ कोलकाता उत्तर, गाजियाबाद, गुवाहाटी और वडोदरा।

5.10.2 आवधिक एससीएन जारी करने के लिए समय की विस्तारित अवधि की मांग जिसे आगे की अपील में अनियमित माना जा सकता है

चार कमिश्नरी⁷⁹ में हमने देखा कि चयनित 116 कार्यालयों में जांच किए गए 3,335 मामलों में से नौ मामलों (0.27 प्रतिशत) में ₹ 4.94 करोड़ के राजस्व प्रभाव को शामिल करते हुए बाद की अवधि के लिए विस्तारित अवधि की मांग करते हुए आवधिक एससीएन जारी किए गए थे जिनकी पुष्टि अधिनिर्णयन में की गई थी लेकिन अपील में इस मुद्दे को समय बाधित माना जा सकता है क्योंकि यह मुद्दा पहले से ही विभाग की जानकारी में था।

जब हमने यह बताया (नवंबर 2019 से दिसंबर 2019) तो विभाग ने एक मामले में तथ्यों को स्वीकार किया। शेष आठ मामलों में उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2020)। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2020)।

एक निदर्शी मामला नीचे दिया गया है:

5.10.2.1 मार्च, 2017 के मुख्य परिपत्र के पैरा 3.7 में यह निर्धारित किया गया है कि विस्तारित अवधि को मांग करते हुए पहले एससीएन के जारी होने के बाद, बाद वाले एससीएन को सामान्य सीमांकन अवधि के भीतर जारी किया जाना चाहिए।

सीजीएसटी कमिश्नरी, गाजियाबाद के एडिशनल कमिश्नर द्वारा विव 14 से विव 16 की अवधि के लिए विस्तारित समयावधि (अक्टूबर 2018) को मांग करते हुए ₹ 1.86 करोड़ के सेवा कर का भुगतान न करने के लिए एक निर्धारिती को एससीएन जारी किया गया था। रिकॉर्ड की आगे की जांच से पता चला कि जनवरी, 2015 में इसी आधार पर इसी निर्धारिती को एक और एससीएन जारी किया गया था। इस प्रकार, अक्टूबर 2018 में विस्तारित समयावधि को मांग करते हुए दूसरे एससीएन को जारी करना उपरोक्त प्रावधानों के विपरीत था। वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 78 के तहत शास्ति की बराबर राशि के साथ मांग की पुष्टि की गयी लेकिन निर्धारिती ने ओ-आई-ओ के विरुद्ध अपील दायर की।

⁷⁹ गाजियाबाद, हावड़ा, मुंबई दक्षिण और त्रिची।

जब हमने यह बताया (अगस्त 2019), तो विभाग ने कहा (सितंबर 2019) कि सीईएसटीएटी (दिसंबर 2018) ने मामले को नए सिरे से अधिनिर्णयन के लिए भेजा और इस संबंध में कार्यवाही प्रारम्भ की जा रही थी। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2020)।

5.10.3 एससीएन देर से जारी होने के कारण आंशिक अवधि की मांग को शामिल न करना

चार कमिश्नरी⁸⁰ में हमने चयनित 116 कार्यालयों में जांच किए गए 3,335 मामलों में से चार मामलों (0.12 प्रतिशत) में एससीएन को देरी से जारी किया गया पाया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 8.26 करोड़ रुपये की अंशकालिक मांग को छोड़ा गया था।

जब हमने यह बताया (नवंबर 2019 से दिसंबर 2019) तो विभाग ने एक मामले में इस तथ्य को स्वीकार किया। शेष तीन मामलों में उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2020)। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2020)।

एक उदाहरण नीचे दिया गया है:

5.10.3.1 नासिक कमिश्नरी में यह पाया गया कि डीजीसीईआई मुंबई जोनल यूनिट ने औद्योगिक प्रोत्साहन आर्थिक सहायता पर उत्पाद शुल्क का भुगतान न करने के संबंध में एक निर्धारिती के मामले में जांच शुरू की थी। मुंबई जोनल यूनिट की जांच के उत्तर में, निर्धारिती ने नवंबर 2015 में ₹ 202.54 करोड़ की प्राप्त आर्थिक सहायता का पूर्ण विवरण प्रस्तुत किया था। लेखापरीक्षा संविक्षा से पता चला कि डीजीसीईआई ने जांच समाप्त कर जून 2017 में एससीएन जारी किया जो ₹ 146.52 करोड़ की कर औद्योगिक प्रोत्साहन आर्थिक सहायता पर कर लगाने के लिए था। एससीएन जारी करने के समय तक विव 12 की मांग को समय बाधित होने के कारण मार्च 2012 में निर्धारिती को प्राप्त ₹ 61.24 करोड़ की आर्थिक सहायता पर विचार नहीं किया गया। चूंकि संबंधित जानकारी नवंबर 2015 में निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत की गई थी, इसलिए एससीएन जारी करने के लिए विभाग द्वारा 19 माह के

⁸⁰ गाजियाबाद, गुवाहाटी, मुंबई दक्षिण और नासिक।

विलंब से एससीएन में ₹ 6.12 करोड़ का राजस्व को छोड़ना पड़ा था और राजस्व की परिणामी हानि हुई थी।

हमने दिसंबर 2019 में यह बताया था। विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2020)। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2020)।

5.10.4 मांग की गलत गणना के कारण एससीएन में कम मांग उठाया जाना

छ: कमिश्नरी⁸¹ में हमने चयनित 116 कार्यालयों में जांच किए गए 3,335 मामलों में से 15 मामलों (0.42 प्रतिशत) में ₹ 147.81 करोड़ की मांग के कम किए जाने को देखा, जिसका मुख्य कारण विभाग द्वारा एससीएन में मांग की गणना करते समय कर योग्य मूल्य को गलत अपनाना था।

हमने नवंबर 2019 से दिसंबर 2019 तक यह बताया। विभाग ने एक मामले में लेखापरीक्षा अभियुक्ति को स्वीकार नहीं किया। शेष 14 मामलों में विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2020)। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2020)।

एक निदर्शी मामला नीचे दिया गया है:

5.10.4.1 मुंबई दक्षिण कमिश्नरी में, एक निर्धारिती के मामले में पारित अधिनिर्णयन आदेश की जांच करते समय, यह देखा गया कि, एससीएन तैयार करते समय, विभाग ने निर्धारिती द्वारा किए गए निर्माण कार्यों को जोकि कार्य संविदा सेवा के तहत आता है, जो 60 प्रतिशत की दर पर छूट की अनुमति के बाद कर के लिए चार्ज किया गया था। लेखापरीक्षा संविदा से पता चला कि विभाग ने पहले भूमि की लागत के लिए फ्लैटों के मूल्य के 75 प्रतिशत की दर से छूट की अनुमति दी थी और उसके बाद, इस सेवा को कार्य संविदा सेवा के रूप में विचार करते हुए 60 प्रतिशत की दर से और छूट की अनुमति दी गई थी, जो मूल्यांकन नियमावली, 2006 के नियम 2ए (ii) के अनुरूप नहीं थी। चूंकि, इस सेवा पर कार्य संविदा सेवा के रूप में कर लगाने का प्रस्ताव था, इसलिए निर्धारिती 75 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त छूट की अनुमति के बिना सकल मूल्य के 40 प्रतिशत पर सेवा कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था। हालांकि यह त्रुटि अधिनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा देखी

⁸¹ अगरतला, भोपाल, चेन्नई उत्तर, गाजियाबाद, मुंबई दक्षिण और मुंबई पश्चिम

गयी थी, लेकिन निर्धारित कानून के अनुसार वह एससीएन से आगे की कार्रवाई नहीं कर पाया और एससीएन में निर्धारित आरोपों के अनुसार मामले का अधिनिर्णय करना था। इस तरह एससीएन तैयार करने में हुई गलती से वित्त अधिनियम 1994 की धारा 78 के तहत अनिवार्य शास्ति सहित ₹ 22.26 करोड़ के राजस्व की हानि हुई थी।

हमने अक्टूबर 2019 में यह बताया था। विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2020)। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2020)।

5.10.5 अधिनिर्णयन में अत्यधिक विलंब

14 कार्यालयों⁸² में, हमने देखा कि चयनित 116 कार्यालयों में जांच किए गए 3,335 मामलों में से 340 एससीएन (10.19 प्रतिशत), जिनमें ₹ 4,716.09 करोड़ का राजस्व शामिल है, सामान्य मामलों में छः महीने की निर्धारित समय सीमा में और विस्तारित अवधि के मामलों में एक वर्ष (एसटी)/दो वर्ष (सीएक्स) की निर्धारित समय सीमा के भीतर अधिनिर्णय नहीं लिया गया।

जब हमने यह बताया (सितंबर 2019 से दिसंबर 2019), हैदराबाद, विशाखापत्तनम, जयपुर, दिल्ली दक्षिण, गाजियाबाद, पुणे-II, रायगढ़, मुंबई दक्षिण कमिश्नरी और डीजीजीएसटीआई, नई दिल्ली के संबंध में विभाग ने अधिनिर्णयन में विलंब को स्वीकार किया और कहा कि मामलों के भारी लंबित होने और प्राधिनिर्णयन अधिकारियों में लगातार बदलाव के कारण विलंब हुआ।

शेष कमिश्नरी के संबंध में उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2020)। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2020)।

एक निदर्शी मामला नीचे दिया गया है:

5.10.5.1 आयुक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मेरठ द्वारा एक निर्धारिती के प्रति धारा 11 एसी केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 के तहत

⁸² अगरतला, इलाहाबाद, बेंगलुरु ईस्ट, दिल्ली साउथ, गाजियाबाद, हैदराबाद, जयपुर, मुंबई साउथ, मुंबई वेस्ट, पुणे-II, रायगढ़, तिरुवनंतपुरम, विशाखापट्टनम कमिश्नरी और डीजीजीएसटीआई हेडक्वार्टर दिल्ली।

₹ 0.47 करोड़ की मांग के साथ इतनी ही राशि की शास्ति की पुष्टि⁸³ की गई (फरवरी 2001)। इस आदेश से व्यथित होकर, निर्धारिती ने सीईजीएटी नई दिल्ली में अपील दायर की और अधिकरण ने अपने अंतिम आदेश 292-94/2001-ए दिनांक 03 जनवरी 2001 के माध्यम से मार्च, 1994 से 14 जनवरी, 1997 तक की अवधि के लिए मांग को बरकरार रखा। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11एसी के तहत शास्ति और धारा 11 एबी के तहत ब्याज के सम्बन्ध में, अधिकरण ने माना कि धारा 11 एसी और धारा 11 एबी के प्रावधान लागू होने की तारीख से पहले शास्ति और ब्याज नहीं लगाया जा सकता है और तदनुसार अधिनिर्णय लेने वाले प्राधिकारी को शुल्क, शास्ति और ब्याज की राशि को फिर से निर्धारित करने का निर्देश दिया गया।

पार्टी के साथ-साथ विभाग ने 2002 की सिविल अपील संख्या 8529-8531/2001 और सिविल अपील संख्या 2008-2010 के माध्यम से क्रमशः माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील दायर की। माननीय उच्चतम न्यायालय ने 27 अक्टूबर 2007 को अपने अंतिम निर्णय के माध्यम से सीईजीएटी द्वारा पारित आदेश को पुनः अधिनिर्णय देकर इसे लागू करने का निर्देश दिया। हालांकि लेखापरीक्षा के दौरान यह बात सामने आई कि 2018 में आयुक्त सीजीएसटी गाजियाबाद द्वारा इस मामले पर फिर से अधिनिर्णय⁸⁴ दिया गया था, अर्थात् माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के 11 साल बाद 30 नवंबर 2017 को व्यक्तिगत सुनवाई (पीएच) नियत करके दिया गया।

जब हमने यह बताया (अगस्त 2019) तो विभाग ने उत्तर दिया (सितंबर 2019) कि जब उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की गई तो मामला मेरठ कमिश्नरी के अधिकार क्षेत्र में था। विभाग की पुनःसंरचना के कारण 2002 में मामला गाजियाबाद कमिश्नरी को हस्तांतरित किया गया, जिसे अक्टूबर 2014 में हुई विभाग के बाद की पुनः संरचना में फिर से मेरठ कमिश्नरी के अधिकार क्षेत्र में हस्तांतरित कर दिया गया। हालांकि, इस मामले

⁸³ मार्च, 1994 से मार्च, 1997 की अवधि के लिए ओ-आई-ओ नंबर 01/कॉमर/एम-01/2001 दिनांक 02 फरवरी, 2001 के माध्यम से एससीएन दिनांक 19 मार्च 1999 द्वारा मांग की गई।

⁸⁴ ओ-आई-ओ नंबर V(15)/एडीजे-01/51/99 334-340 दिनांक 31 जनवरी 2018 के द्वारा

में अंततः सीजीएसटी कमिश्नरी, गाजियाबाद द्वारा फिर से अधिनिर्णय दिया गया क्योंकि जीएसटी लागू होने के कारण 2017 में विभाग की पुनःसंरचना के कारण मामला फिर से गाजियाबाद कमिश्नरी को हस्तांतरित कर दिया गया था।

कमिश्नरी का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इस मामले का फैसला माननीय उच्चतम न्यायालय ने 2007 में किया था और मामले की फाइल 2007 से 2014 तक गाजियाबाद कमिश्नरी के पास थी। इसलिए, गाजियाबाद कमिश्नरी मामले पर फिर से अधिनिर्णय ले सकता था और सात वर्षों के दौरान राशि की पुनः मात्रा निर्धारित कर सकता था, जब मामले की फाइल उनके पास थी। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित (दिसम्बर 2020) है।

5.10.6 व्यक्तिगत सुनवाई पूरी होने के बाद निर्धारित अवधि में अधिनिर्णयन आदेश जारी न करना

दिनांक 10 मार्च 2017 के मुख्य परिपत्र के अनुसार, व्यक्तिगत सुनवाई कम से कम तीन बार की जानी चाहिए और जहां व्यक्तिगत सुनवाई संपन्न होती है, वहां निर्णय को यथाशीघ्र सूचित करना आवश्यक है, लेकिन असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, जिन्हे फाइल में दर्ज किया जाए, अंतिम व्यक्तिगत सुनवाई की तारीख से एक महीने से बाद में नहीं। इसके अलावा, आदेश को सीईए, 1944 की धारा 37सी के प्रावधानों के अनुसार निर्धारिती को सूचित किया जाना आवश्यक है जो वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 83 के अनुसार सेवा कर पर भी लागू है।

25 कार्यालयों⁸⁵ में, हमने देखा कि 581 मामलों में ₹ 4,063.89 करोड़ की धनराशि के साथ ओ-आई-ओएस (17.42 प्रतिशत), एक महीने की निर्धारित अवधि बाद देरी के साथ जारी किए गए थे जो मामलों की फाइलों में किसी कारण के दर्ज किए बिना थे। इससे ₹ 4,063.89 करोड़ की वसूली की कार्यवाही करने में देरी हुई।

⁸⁵ इलाहाबाद, अगरतला, अहमदाबाद उत्तर, बंगलुरु पूर्व, भोपाल, भुवनेश्वर, चेन्नई उत्तर, दिल्ली दक्षिण, गाजियाबाद, गुरुग्राम, गुवाहाटी, हावड़ा, हैदराबाद, जयपुर, जालंधर, कोलकाता उत्तर, मुंबई दक्षिण, मुंबई पश्चिम, नासिक, पुणे-II, राजकोट, तिरुवनंतपुरम, वडोदरा-II, विशाखापट्टनम कमिश्नरी और डीजीजीएसटीआई मुख्यालय दिल्ली।

जब हमने यह बताया (सितंबर से नवंबर 2019) तो अहमदाबाद उत्तर, वडोदरा-II, राजकोट, जयपुर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, बेंगलोर पूर्व, जालंधर, गुरुग्राम, दिल्ली दक्षिण, कोलकाता उत्तर, हावड़ा, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, अगरतला, पुणे-II, मुंबई दक्षिण, मुंबई पश्चिम, नासिक, भोपाल कमिश्नरी और डीजीजीएसटीआई मुख्यालय, दिल्ली ने उत्तर दिया था कि आदेश जारी करने से पहले तथ्यों के सत्यापन के कारण, जीएसटी लागू होने से स्टाफ की कमी और भारी कार्यभार के कारण एक माह से अधिक के ओ-आई-ओएस जारी करने में देरी हुई।

कमिश्नरियों का उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि परिपत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया कि अपवादात्मक मामलों में जहां ओ-आई-ओएस एक महीने के भीतर जारी नहीं किए जा सकते हैं, कारणों को फाइलों में दर्ज करना होगा। अधिनिर्णयन की फाइलों में कोई औचित्य दर्ज नहीं पाया गया। शेष कमिश्नरियों से उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2020)। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2020)।

5.10.7 एससीएन फाइलों में विश्वसनीय दस्तावेजों की अनुपलब्धता के कारण मांग का गिरना

कोलकाता-उत्तर, हावड़ा कमिश्नरी और डीजीजीएसटीआई मुख्यालय में यह देखा गया कि जांच किए गए 3,335 मामलों में से नौ मामलों (0.27 प्रतिशत) में ₹ 48.55 करोड़ की मांगों को छोड़ दिया गया, क्योंकि एससीएन के तहत उठाई गई इन मांगों को दस्तावेजी साक्ष्यों द्वारा समर्थन नहीं किया गया था। डीजीजीएसटीआई मुख्यालय में देखा गया मामला नीचे दिया गया है:

5.10.7.1 मुख्य परिपत्र सं.1053/02/2017-सीएक्स दिनांक 10 मार्च 2017 में यह बताया गया है कि कारण बताओ नोटिस और कारण बताओ नोटिस में विश्वसनीय दस्तावेजों को अधिनिर्णयन कार्यवाही शुरू करने के लिए निर्धारिती को भेजा जाना आवश्यक है।

अधिनिर्णयन मामलों से संबंधित फाइलों की संविक्षा के दौरान यह देखा गया कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, नई दिल्ली के आयुक्त द्वारा 21 मार्च 1995 को एससीएन जारी किया गया था। एक निर्धारिती (अक्टूबर 2013) के प्रति मांग की पुष्टि करते हुए मामले का अधिनिर्णयन किया गया। उक्त ओ-आई-ओ से

व्यथित होकर, सीईएसटीएटी में निर्धारिती ने अपील की और सीईएसटीएटी ने विश्वसनीय दस्तावेजों (आरयूडीएस) के मद्देनजर मांग को ध्यान में रखते हुए पुनः अधिनिर्णयन के लिए अक्टूबर 2013 में मामलों को वापस भेज दिया। यह मामला डीजीसीईआई, नई दिल्ली के अपर महानिदेशक (अधिनिर्णयन) को सौंपा गया था। आदेश संख्या 60/2018-सीई दिनांक 31 मार्च 2018 के तहत अधिनिर्णयन प्राधिकारी ने ₹ 46.52 करोड़ की मांग को छोड़ दिया क्योंकि 440 आरयूडी में से 395 आरयूडी, मामला फाइलों के साथ उपलब्ध नहीं थे।

जब हमने यह बताया (सितंबर 2019) तो विभाग ने उत्तर दिया (दिसंबर 2019) कि अधिनिर्णयन प्राधिकारी ने उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर इस मामले का फैसला किया था और कि आरयूडी को आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, नई दिल्ली द्वारा नोटिसी को उपलब्ध नहीं कराया गया था। इसके परिणामस्वरूप कोई कार्रवाई शुरू नहीं हो सकी।

उत्तर में उन कारणों के बारे में उल्लेख नहीं है कि आरयूडी केस फाइलों के साथ क्यों उपलब्ध नहीं थे, जिससे ₹ 46.52 करोड़ के राजस्व की हानि हुई। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2020)।

5.11 कॉल बुक मामलों की निगरानी

बोर्ड की, परिपत्र संख्या 992/16/2014-सीएक्स, दिनांक 26 दिसंबर 2014 और 1023/ 11/2016- सीएक्स दिनांक 08 अप्रैल 2016 और मुख्य परिपत्र संख्या 1053/02/2017/सीएक्स दिनांक 10 मार्च 2017 के साथ पठित परिपत्र संख्या 162/73/95-सीएक्स.3, दिनांक 14 दिसंबर 1995 में उन मामलों की श्रेणियों को निर्दिष्ट किया गया है, जिनका कुछ निर्दिष्ट कारणों की वजह से तत्काल अधिनिर्णयन नहीं किया जा सकता है जैसे कि विभाग ने इसी तरह के मामले में अपील दायर की है, न्यायालयों आदि द्वारा निषेधाज्ञा आदेश जारी किया गया है और इसके परिणामस्वरूप ऐसे मामलों का अधिनिर्णयन स्थगित कर दिया गया है, जिसे कॉल बुक में हस्तांतरित किया जा सकता है।

इसके अलावा, सीबीआईसी ने 08 अप्रैल 2016 के अपने परिपत्र⁸⁶ द्वारा अपनी क्षेत्रीय संरचनाओं को सूचित किया कि सीएजी की लेखापरीक्षा आपत्तियों से

⁸⁶ परिपत्र सं.1023/11/2016-सीएक्स नई दिल्ली दिनांक 08 अप्रैल 2016

सृजित कारण बताओ नोटिसों को कॉल बुक में हस्तांतरित करने की प्रक्रिया बंद कर दी गई थी और भविष्य में ऐसा कोई कारण बताओ नोटिस कॉल बुक को हस्तांतरित नहीं किया जाना चाहिए। परिपत्र में आगे कहा गया कि कॉल बुक्स में रखे गए पिछले एससीएनएस की भी समीक्षा की जाएगी और उक्त परिपत्र में यथा निर्धारित तरीके से अधिनिर्णयन किया जाएगा। बोर्ड ने दिनांक 4 मार्च 1992 के अर्धशासकीय पत्र द्वारा कमिश्नरों को मासिक आधार पर कॉल बुक में हस्तांतरित मामलों की मासिक अवधि पर समीक्षा करने के निर्देश जारी किए थे।

31 मार्च, 2019 के अंत में कॉल बुक के एससीएन के लंबित होने की प्रास्थिति नीचे तालिका 5.7 में दी गई है:

तालिका सं. 5.7: कॉल बुक में लंबित एससीएन का विवरण

(₹ करोड़ में)

श्रेणी	मामलों की सं. (सीएक्स)	राशि	मामलो की सं. (एसटी)	राशि
जिन मामलों में विभाग ने उपयुक्त प्राधिकारी के पास अपील की है	20,687	64,530.92	14,516	54,677.94
ऐसे मामले जहां एससी/एचसी/ट्रिब्यूनल आदि द्वारा निषेधाज्ञा जारी की गई है।	1,289	5,492.68	1,555	6,513.14
ऐसे मामले जहां सीईआरए लेखापरीक्षा आपत्तियों का विरोध किया जाता है	704	2,263.04	401	938.59
ऐसे मामले जहां बोर्ड ने विशेष रूप से मामले को कॉल बुक/अन्य में रखने का आदेश दिया है	288	2,081.04	546	3,348.92
ऐसे मामले जहां पार्टी ने निपटान आयोग में आवेदन दायर किए थे, जो लंबित हैं	43	68.49	84	411.26
कुल	23,011	74,436.17	17,102	65,889.84

ऊपर की तालिका 5.7 से यह स्पष्ट है कि ₹ 74,736.17 करोड़ का केंद्रीय उत्पाद शुल्क और ₹ 65,889.84 करोड़ का सेवा कर कॉल बुक में अपुष्ट मांग के रूप में पड़ा है। इसके अलावा, यह देखा गया है कि बोर्ड के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद, क्षेत्रीय संरचनाओं ने कॉल बुक से विवादित सीएजी लेखापरीक्षा

आपत्तियों के आधार पर एससीएन को पुनः प्राप्त नहीं किया, जो कॉल बुक मामलों की समीक्षा के लिए प्रभावी निगरानी तंत्र की कमी का संकेत देता है।

चयनित 116 कार्यालयों में 31 मार्च 2019 तक 5,491 एससीएन को कॉल बुक में रखा गया था। हमने ₹ 13,308.02 करोड़ की धनराशि से जुड़े 2,191 मामलों की जांच की और 1,006 मामलों (45.92 प्रतिशत) में अनियमितताओं को देखा, जिसमें ₹ 6,918.57 करोड़ की धनराशि शामिल है। पाई गई कमियां एससीएन में मांग की गलत संगणना, एससीएन जारी करने के लिए विस्तारित समयावधि की गलत मांग, कॉल बुक में एससीएन का गलत हस्तांतरण, कॉल बुक से एससीएन की गैर/विलंबित पुनर्प्राप्ति, एससीएन के स्थानांतरण की सूचना नोटिसी को न देने आदि से संबंधित थीं जैसा कि नीचे तालिका 5.8 में दिया गया है:

तालिका सं. 5.8: कॉल बुक में लंबित एससीएन में पाई गई कमियां

क्र.सं.	कमियों के प्रकार	कमियों की सं	धनराशि (₹ करोड़ में)	नमूने के % में कमियां (सं.)
1.	मांग की गलत गणना जिसके परिणामस्वरूप एससीएन में मांग कम की गयी	7	25.99	0.32
2.	आवधिक एससीएन जारी करने के लिए विस्तारित समयावधि की गलत मांग	4	307.78	0.18
3.	आवधिक एससीएन जारी न करना	8	0	0.37
4.	कॉल बुक में एससीएन का गलत हस्तांतरण	23	120.73	1.05
5.	कॉल बुक मामलों की गैर-आवधिक समीक्षा	370	2,251.92	16.89
6.	कॉल बुक से एससीएन की गैर/विलंबित पुनर्प्राप्ति	137	437.64	6.25
7.	कॉल बुक में एससीएन के हस्तांतरण के संबंध में नोटिसी को सूचना न देना	415	3,225.17	18.94
8.	कॉल बुक में मामलों को हस्तांतरित करने के लिए आयुक्त की कोई पूर्व मंजूरी नहीं लेना	10	13.18	0.46
9.	आवधिक एससीएन जारी करने में अत्यधिक विलंब	32	536.16	1.46
	कुल पाई गई कमियां	1,006	6,918.57	45.92
	लेखापरीक्षा द्वारा जांचे गए कुल मामलें	2,191	13,308.02	
	चयनित इकाइयों में कॉल बुक में लंबित कुल मामले	5,491		---

5.11.1 कॉल बुक में रखे गए एससीएन में मांग की कम संगणना

त्रिची और पुणे-11 कमिश्नरी में, हमने कर की गलत दर को अपनाने और पूरी राशि पर विचार न करने के कारण चयनित 116 इकाइयों में जांच किए गए 2,191 कॉल बुक मामलों में से सात एससीएन (0.32 प्रतिशत) में ₹ 25.99 करोड़ की मांग का कम किया जाना पाया।

जब हमने यह बताया (अगस्त 2019 से दिसंबर 2019) तो विभाग ने छः मामलों में तथ्यों को स्वीकार किया और एक मामले में लेखापरीक्षा अभियुक्ति को स्वीकार नहीं किया। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2020)।

एक निदर्शी मामला नीचे दिया गया है:

5.11.1.1 पुणे-॥ कमिश्नरी में हमने देखा कि मार्च 2013 में एक निर्धारिती को रिवर्स चार्ज के आधार पर विदेश से प्राप्त सेवाओं के संबंध में 2010-11 की अवधि के लिए ₹ 6.55 करोड़ के सेवा कर का भुगतान न करने के लिए एक एससीएन जारी किया गया था। निर्धारिती ने एससीएन जारी करने से पहले विरोध के तहत ₹ 1.21 करोड़ का भुगतान किया, बाद में ₹ 5.34 करोड़ की शेष राशि का भुगतान किया और ₹ 6.55 करोड़ की पूरी राशि का सेनवैट क्रेडिट प्राप्त किया। चूंकि, भुगतान विरोध के तहत किया गया था, इसलिए विभाग ने सेनवैट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 9 (बीबी) के तहत सेनवैट का लाभ उठाने पर आपत्ति जताई और कर के भुगतान से बचने के इरादे से तथ्यों के छिपाने के कारण कर का कम भुगतान हुआ। परिणामस्वरूप, विभाग ने जून 2016 में नए सिरे से एससीएन जारी कर लिए गए उपरोक्त सेनवैट के प्रतिवर्ती करने/भुगतान की मांग की। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि पहले एससीएन के जारी करने से पहले किए गए ₹ 1.21 करोड़ के भुगतान को छोड़कर ₹ 5.34 करोड़ के लिए एससीएन जारी किया गया था। चूंकि इस मामले में तथ्यों का छिपाना शामिल था और विरोध के तहत भुगतान किया गया था, इसलिए विस्तारित अवधि की मांग करते हुए ₹ 6.55 करोड़ के लिए सेनवैट की पूरी राशि के लिए एससीएन को जारी किया जाना था। हालांकि विभाग ने ₹ 1.21 करोड़ के सेनवैट का लाभ उठाने का सत्यापन करने के लिए संबंधित प्रभाग को आगे निर्देश दिए थे, लेकिन यह दर्शाने के लिए रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं था कि राजस्व के हितों की रक्षा के लिए संबंधित प्रभाग द्वारा अनियमितता को सुधारने के लिए कोई कार्रवाई शुरू की गयी थी। इस चूक से ₹ 1.21 करोड़ की सीमा तक सरकारी राजस्व को खतरे में डाल दिया गया था।

जब हमने यह (दिसंबर 2019) बताया, तो विभाग ने कहा (जनवरी 2020) कि एससीएन दिनांक 31/03/2013 जारी करने से पहले रिवर्स चार्ज के तहत

₹ 1.21 करोड़ की राशि का भुगतान सेवा कर के रूप में किया गया था। बाद में सेनवैट क्रेडिट का लाभ उठाने की जानकारी विभाग को दी जाती है। इसलिए, सेनवैट क्रेडिट के अनियमित लाभ के लिए जारी किए गए ₹ 5.34 करोड़ का एससीएन कानूनी और सही है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा सेवा कर का भुगतान नहीं किए जाने को बताए जाने के बाद विरोध के तहत निर्धारिती ने सेवाकर भुगतान किया था। इसलिए, निर्धारिती द्वारा प्राप्त सेनवैट क्रेडिट को सेनवैट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 9 (1) (बीबी) के अनुसार अननुमत कर दिया जाना चाहिए और विभाग को ₹ 5.34 करोड़ के बजाय ₹ 6.55 करोड़ का एससीएन जारी करना चाहिए था। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2020)।

5.11.2 आवधिक एससीएन जारी करने के लिए विस्तारित समावधि को गलत मांग करना/आवधिक एससीएन जारी न करना

तीन कमिश्नरी⁸⁷ में हमने 116 चयनित कार्यालयों में जांच किए गए 2,191 कॉल बुक मामलों में से चार एससीएन (0.18 प्रतिशत) में ₹ 307.78 करोड़ के आवधिक एससीएन जारी करने के लिए विस्तारित समयावधि की गलत मांग का किया जाना और आठ एससीएन (0.37 प्रतिशत) में आवधिक एससीएन का जारी न करना पाया।

हमने अगस्त 2019 से दिसंबर 2019 तक यह बताया। विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (जून, 2020)। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2020)।

एक निदर्शी मामला नीचे दिया गया है:

5.11.2.1 त्रिची कमिश्नरी के तहत एक निर्धारिती को एक एससीएन जारी किया गया था (दिसंबर 2013) जो दिसंबर 2008 से नवंबर 2013 तक की अवधि के दौरान औद्योगिक ग्राहकों को 50 किलोग्राम बैग में सीमेंट की निकासी के लिए सीई टैरिफ अधिनियम, 1985 की पहली अनुसूची की टैरिफ मद 25232910 और 25232930 के तहत आने वाले सीमेंट के विनिर्माण में लगा था जिसमें ₹ 89.01 करोड़ के शुल्क की मांग करते हुए विस्तारित अवधि की मांग की

⁸⁷ चेन्नई, मंगलौर और त्रिची।

गयी। यह इस तथ्य के बावजूद है कि इसी आधार पर एक एससीएन पहले ही जारी किया जा चुका था (दिसंबर 2008) जिसमें दिसम्बर 2007 से अक्टूबर 2008 तक की अवधि शामिल थी। इसलिए, विस्तारित अवधि की मांग करते हुए बाद में एससीएन जारी करना गलत है क्योंकि मामला पहले से ही विभाग की जानकारी में था और अधिनिर्णयन के समय मांग को समय बाधित किया जा सकता है।

हमने अगस्त 2019 में यह बताया था। विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2020)। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2020)।

5.11.3 कॉल बुक में एससीएन का गलत हस्तांतरण

छ: कमिश्नरी⁸⁸ में हमने लेखापरीक्षा में जांच में पाया कि चयनित 116 इकाइयों में 2,191 कॉल बुक मामलों में से ₹ 120.73 करोड़ की धनराशि वाले 23 एससीएन (1.05 प्रतिशत) को गलत हस्तांतरण किया गया।

जब हमने यह बताया (सितंबर 2019 से दिसंबर 2019) तो विभाग ने पांच मामलों में तथ्यों को स्वीकार किया। शेष 18 मामलों में उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2020)। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2020)।

एक निदर्शी मामला नीचे दिया गया है:

5.11.3.1 गुरुग्राम कमिश्नरी में यह देखा गया कि एससीएन सं. 4867 दिनांक 24 अक्टूबर 2008 को ब्याज और शास्ति के साथ ₹ 2.12 करोड़ की सेवा कर की वसूली के लिए अपर महानिदेशक (डीजीसीईआई) द्वारा कमिश्नर केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिल्ली-III के समक्ष पेश होने के निर्देश के साथ जारी किया गया था। नोटिसी ने 30 दिसंबर 2008 को कमिश्नर सर्विस टैक्स नई दिल्ली को उत्तर प्रस्तुत किया था। इसके बाद चीफ आयुक्त (दिल्ली जोन) केंद्रीय उत्पाद शुल्क नई दिल्ली ने इस मामले को केंद्रीय उत्पाद शुल्क के आयुक्त को सौंपा था। तीन पीएच 20 मई 2009, 4 जून 2009 और 12 जून 2009 को निर्धारित की गई थीं। नोटिसी ने 04 जून 2009 को अपना उत्तर प्रस्तुत किया। इसके बाद विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई और कोई आधार

⁸⁸ दिल्ली दक्षिण, गाजियाबाद, गुरुग्राम, जमशेदपुर, कोलकाता उत्तर और पुणे-II

बताए बिना 16 दिसंबर 2015 को कॉल बुक में मामला हस्तांतरित कर दिया गया।

जब हमने यह (सितंबर 2019) बताया, तो विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को (जनवरी 2020) स्वीकार किया और भविष्य के अनुपालन के लिए इसे नोट किया। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2020)।

5.11.4 कॉल बुक मामलों की आवधिक समीक्षा नहीं की गई

बोर्ड ने दिनांक 4 मार्च 1992 के अर्धशासकीय पत्र द्वारा कमिश्नरों को मासिक आधार पर कॉल बुक में हस्तांतरित मामलों की मासिक आवधिक समीक्षा करने के निर्देश जारी किए थे।

11 कार्यालयों⁸⁹ में, हमने देखा कि चयनित 116 इकाइयों में जांचे गए 2,191 कॉल बुक मामलों में से ₹ 2,251.92 करोड़ की धनराशि वाले 370 एससीएन (16.89 प्रतिशत) की आवधिक समीक्षा नहीं की गई जो ऊपर दिए गए निर्देशों के उल्लंघन में थी।

जब हमने यह बताया (अगस्त 2019 से दिसंबर 2019) विभाग ने 121 मामलों में तथ्यों को स्वीकार किया और 96 मामलों में लेखापरीक्षा अभियुक्तियों को स्वीकार नहीं किया। शेष 153 मामलों में उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2020)। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2020)।

5.11.5 कॉल बुक से मामलों की गैर/विलंबित पुनर्प्राप्ति

13 कमिश्नरी⁹⁰ में हमने चयनित 116 इकाइयों में जांच किए गए 2,191 कॉल बुक मामलों में से ₹ 437.64 करोड़ की धनराशि वाले 137 एससीएन (6.25 प्रतिशत) की गैर/विलंबित पुनर्प्राप्ति देखी।

जब हमने यह (अक्टूबर 2019 से दिसंबर 2019) बताया तो विभाग ने 60 मामलों में तथ्यों को स्वीकार किया। शेष 77 मामलों में उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2020)। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2020)।

⁸⁹ भोपाल, भुवनेश्वर, गाजियाबाद, हैदराबाद, जालंधर, कोलकाता उत्तर, मुंबई पश्चिम, पुणे-II, रायगढ़, विशाखापट्टनम कमिश्नरी और डीजीजीएसटीआई मुख्यालय नई दिल्ली

⁹⁰ भुवनेश्वर, चेन्नई उत्तर, दिल्ली दक्षिण, गाजियाबाद, गुरुग्राम, गुवाहाटी, जालंधर, मंगलौर, मुंबई पश्चिम, पुणे-II, रायगढ़, तिरुवनंतपुरम और विशाखापट्टनम

एक निदर्शी मामला नीचे दिया गया है:

5.11.5.1 चेन्नई उत्तर कमिश्नरी में 31 मार्च 2019 तक लंबित 532 कॉल बुक मामलों की जांच की गई, जिसमें इसी तरह के मुद्दों पर विभिन्न न्यायिक मंचों पर निर्धारितियों के विरुद्ध विभागीय अपीलें लंबित थीं। माननीय उच्चतम न्यायालय और मद्रास उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट में मामलों के निपटारे की प्रास्थिति के संबंध में मामलों का सत्यापन सीएजी की लेखापरीक्षा द्वारा किया गया था। यह देखा गया कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के 29 एससीएन और सेवा कर के 29 एससीएन को अभी भी कॉल बुक में रखा गया था जिसमें इसी तरह के मामलों का निपटारा न्यायपालिका द्वारा किया गया था। इसलिए, ये मामले अधिनिर्णयन के लिए कॉल बुक से पुनः प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थे, लेकिन कॉल बुक में अनियमित रूप से इसे रोककर रखा गया था।

इससे यह संकेत मिलता है कि कमिश्नरी ने ऐसी अपील के आधार पर हस्तांतरित कॉल बुक से एससीएन को पुनः प्राप्त करने के उद्देश्य से अपील में लंबित मामलों की निगरानी नहीं की।

जब हमने यह (सितंबर 2019) बताया, तो कमिश्नरी ने कहा (अक्टूबर 2019) कि सितंबर, 2019 में अधिनिर्णयन के लिए कॉल बुक से आठ मामले प्राप्त किए गए थे; माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील के परिणाम लंबित होने के कारण कॉल बुक में 12 मामले रखे गए थे; कानूनी धारा द्वारा तीन मामलों की जांच की जा रही थी; और एक मामला मंगलौर कमिश्नरी का था। शेष 34 मामलों के संबंध में विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2020)।

5.11.6 कॉल बुक में एससीएन के हस्तांतरण के संबंध में नोटिसी को सूचना न देना

सीबीआईसी द्वारा जारी दिनांक 10 मार्च 2017 के मुख्य परिपत्र के पैरा 9.4 के अनुसार, नोटिसी को एक औपचारिक सूचना जारी की जानी चाहिए, जहां मामला कॉल बुक को हस्तांतरित कर दिया गया है।

आठ कार्यालयों⁹¹ में हमने देखा कि चयनित 116 इकाइयों में जांच किए गए 2,191 कॉल बुक मामलों में से ₹ 3,225.17 करोड़ की धनराशि वाले 415 एससीएन (18.94 प्रतिशत) में नोटिसी को कॉल बुक में उनके मामलों के हस्तांतरण के बारे में सूचित नहीं किया गया था।

जब हमने यह बताया (अक्टूबर 2019 से दिसंबर 2019) तो विभाग ने 54 मामलों में तथ्यों को स्वीकार किया। शेष 361 मामलों में उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2020)। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2020)।

5.11.7 एससीएन के कॉल बुक में हस्तांतरण से पहले आयुक्त से पूर्व अनुमोदन का न लिया जाना

बोर्ड ने दिनांक 4 मार्च 1992 के अर्धशासकीय पत्र द्वारा निर्देश दिए थे कि एससीएन को आयुक्त की पूर्व अनुमति से कॉल बुक में हस्तांतरित किया जाना चाहिए।

हमने देखा कि चयनित 116 इकाइयों में 2,191 कॉल बुक मामलों में से तिरुवनंतपुरम और दिल्ली दक्षिण कमिश्नरी में ₹ 13.18 करोड़ की धनराशि वाले 10 मामलों (0.46 प्रतिशत) को कॉल बुक में मामले हस्तांतरित करने से पहले आयुक्त का पूर्व अनुमोदन नहीं लिया गया था।

हमने अगस्त 2019 से दिसंबर 2019 तक यह बताया। विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2020)। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2020)।

5.11.8 भारतीय भण्डार ब्रोकरों द्वारा विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) को प्रदान की गयी सेवाओं पर ब्रोकरेज प्रभारों पर सेवा कर के उद्ग्रहण के मुद्दे पर बोर्ड से स्पष्टीकरण में असामान्य देरी, जिससे राजस्व का अवरोध न हुआ।

भण्डार ब्रोकर कई विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई)/अन्य विदेशी ग्राहकों के साथ-साथ घरेलू ग्राहकों को भण्डार ब्रोकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं। 01 जुलाई 2012 से नकारात्मक सूची व्यवस्था लागू होने के बाद भण्डार ब्रोकरों ने एफआईआई और अन्य विदेशी ग्राहकों को दी जाने वाली सेवाओं के

⁹¹ भोपाल, दिल्ली दक्षिण, गुरुग्राम, जालंधर, पुणे-II, तिरुवनंतपुरम, त्रिची कमिश्नरी और डीजीजीएसटीआई मुख्यालय दिल्ली।

लिए सेवा कर का भुगतान करना बंद कर दिया, क्योंकि सेवा प्राप्तकर्ता का स्थान भारत से बाहर था। भण्डार ब्रोकरों ने 01 जुलाई 2012 से 30 सितंबर 2014 तक अपने विदेशी ग्राहकों को दी जाने वाली भण्डार ब्रोकिंग सर्विसेज पर सेवा कर का भुगतान करना बंद कर दिया। "मध्यस्थ" शब्द की परिभाषा में संशोधन किए जाने के बाद 01 अक्टूबर 2014 से सेवा कर का भुगतान करना शुरू कर दिया गया था जिसमें माल की आपूर्ति की सुविधा को शामिल किया गया था और फलस्वरूप उनके भारत में स्थित होने के नाते और मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के नाते, सेवा नियमों के प्रावधान के स्थान के नियम 9 के खंड (सी) के अनुसार सेवा के प्रावधान का स्थान भारत में था।

जुलाई 2012 से सितंबर 2014 तक की मध्यावधि के दौरान एफआईआई को दी जाने वाली सेवाओं के लिए ब्रोकरेज प्रभारों की करदेयता के मुद्दे पर मुंबई जोन ने यह रुख अपनाया कि प्रतिभूतियां इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध कराई जाने वाली वस्तुओं के दायरे में आती हैं और इसलिए कर योग्य हैं। तदनुसार, कई भण्डार ब्रोकरों के मामलों में, विभाग ने बीच की अवधि के दौरान सेवा कर के उद्ग्रहण के लिए एससीएन जारी किए। हालांकि, इसी बीच भण्डार ब्रोकर्स एसोसिएशन, एशिया सिक्योरिटीज इंडस्ट्री एंड फाइनेंशियल मार्केट एसोसिएशन (एएसआईएफएमए) ने विदेशी संस्थागत निवेशकों को प्रदान की जाने वाली भण्डार ब्रोकिंग सेवाओं पर सेवा कर के पूर्वव्यापी उद्ग्रहण से बचने के लिए अगस्त 2014 में बोर्ड को प्रस्तुतिकरण दिया।

मुंबई दक्षिण कमिशनरी में लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए अभिलेखों से यह देखा गया कि अगस्त 2016 में बोर्ड ने सभी जोन से इस मुद्दे पर लंबित एससीएन के संबंध में कुछ विवरण मांगे थे। इसके उत्तर में अक्टूबर 2016 में मुंबई के तत्कालीन प्रिं.आयुक्त एसटी-III ने सूचित किया था कि मुंबई जोन में इस मुद्दे पर 32 एससीएन, जिसमें ₹ 536.16 करोड़ का राजस्व शामिल था, को बोर्ड से स्पष्टीकरण के अभाव में कॉल बुक में रखा गया था। यह देखा गया कि जुलाई 2018 में मुंबई जोन के चीफ आयुक्त ने अपनी कमिशनरियों को सूचित किया था कि एएसआईएफएमए के अनुरोध को बोर्ड द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था और कॉल बुक में रखे गए इन मामलों का अधिनिर्णयन करने के निर्देश दिए गए थे।

उपरोक्त को देखते हुए यह स्पष्ट है कि बोर्ड को मुंबई जोन को स्पष्टीकरण देने में लगभग चार साल लग गए। बोर्ड द्वारा स्पष्टीकरण जारी करने में इस असामान्य विलम्ब के कारण कॉल बुक में 32 एससीएन में ₹ 536.16 करोड़ की राशि के मामलों को चार वर्षों के लिए अकेले मुंबई जोन में अनुचित रूप से रोके रखा गया।

हमने दिसंबर 2019 में यह बताया था। विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2020)। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2020)।

5.12 रिमांड मामलों में पाई गई कमियां

अपीलीय प्राधिकारी के आदेश के अनुपालन में नये सिरे से अधिनिर्णयन के मामले में, ऐसे मामलों का निर्णय उसी रैंक के अधिनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए जिन्होंने उस आदेश को पारित किया था जो अधिकारियों के अधिनिर्णयन की शक्ति में वृद्धि के बावजूद अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील में था। अपीलीय प्राधिकारी से नये सिरे से अधिनिर्णयन का आदेश प्राप्त होने पर ऐसे मामले को ऐसे अधिनिर्णयन प्राधिकारी के अधिनिर्णयन के लिए लंबित मामलों की सूची में लंबित दर्शाया जाना चाहिए, जब तक कि उनके द्वारा इस पर निर्णय नहीं लिया जाता, दिखाया जाए। रिमांड मामलों को उसी तरीके से अधिनिर्णित किया जाना चाहिए जैसे नए एससीएन का अधिनिर्णयन होता है।

विव 17 से विव 19 के दौरान, 13 कार्यालयों⁹² में 748 एससीएन को अधिनिर्णयन के लिए वापस भेज दिया गया। हमने ₹ 3,358.21 करोड़ के धन मूल्य से जुड़े 622 मामलों की जांच की और 65 मामलों (10.45 प्रतिशत) जिसमें ₹ 419.52 करोड़ का धन मूल्य शामिल है, में अनियमितताएं पाई। कमी रिमांड मामलों के अधिनिर्णयन न करने/विलंब करने से संबंधित है।

जब हमने यह इंगित किया (अक्टूबर 2019 से दिसंबर 2020), विभाग ने 15 मामलों में तथ्यों को स्वीकार किया। शेष 50 मामलों में उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2020)। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2020)।

⁹² अगरतला, अहमदाबाद उत्तर, बेंगलुरु पूर्व, भोपाल, चेन्नई उत्तर, दिल्ली दक्षिण, जयपुर, जमशेदपुर, मंगलौर, पुणे-II, रायगढ़, तिरुवनंतपुरम कमिश्नरेट और डीजीजीएसटीआई मुख्यालय दिल्ली

दो निदर्शी मामले नीचे दिए गए हैं:

5.12.1 आयुक्त सेवा कर, बेंगलुरु ने अपात्र इनपुट सेवा क्रेडिट की पुष्टि की (दिसंबर 2012), जिसका ₹ 5.20 करोड़ का लाभ निर्धारिती द्वारा प्राप्त किया गया। निर्धारिती ने सीईएसटीएटी को अपील की और सीईएसटीएटी ने संबंधित इनपुट सेवा बीजक सत्यापित करने के लिए मूल अधिनिर्णयन प्राधिकरण को मामला वापस किया⁹³ (सितम्बर 2014) और निर्धारिती को सेनवेट क्रेडिट की अनुमति दी, जहां भी यह पात्र है। लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि ईस्ट डिवीजन-1, बेंगलुरु ईस्ट कमिश्नरी के असिस्टेंट आयुक्त ने 24 जून 2019 को अर्थात् लगभग पांच साल की देरी के बाद आयुक्त को अपनी सत्यापन रिपोर्ट सौंपी थी, यह बताते हुए कि कुल इनपुट सर्विस में से केवल ₹ 229 करोड़ का सेनवेट क्रेडिट अनियमित था। यह मामला अभी अधिनिर्णयन के लिए लंबित है। इस प्रकार, प्रभाग द्वारा सत्यापन रिपोर्ट देर से प्रस्तुत करने के कारण, मामला अभी भी अधिनिर्णयन के लिए लंबित था जिसके परिणामस्वरूप लंबी अवधि के लिए मुकदमेबाजी के अंतर्गत बड़ी राशि लंबित थी।

हमने सितंबर 2019 में इसे इंगित किया था। विभाग का प्रतीक्षित है (जून 2020)। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर, 2020)।

5.12.2 सामान्य अधिनिर्णयन प्राधिकारी की गैर-नियुक्ति के कारण रिमांड मामले का गैर अधिनिर्णयन

दिल्ली दक्षिण कमिश्नरी में अधिनिर्णयन के लिए लंबित अभिलेखों/एससीएन की संवीक्षा के दौरान यह पाया गया कि ₹ 9.27 करोड़ धन मूल्य से जुड़े पांच मामलों में माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 29 अप्रैल 2015 के अपने निर्णय संख्या सिविल अपील संख्या 2004 की 4964-4976 के द्वारा सीईएसटीएटी के आदेश के विरुद्ध विभागीय अपील को खारिज कर दिया था और पुनः अधिनिर्णयन के लिए मामलों को वापस भेज दिया था।

हमने पाया कि आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय दिल्ली II ने 17 जनवरी 2017 को पीएच तय किया, जिसमें उपरोक्त नोटिसी की ओर से वकील ने

⁹³ उनकी अंतिम आदेश संख्या 21693/2014 दिनांक 08 सितंबर, 2014 देखें

अनुरोध किया कि इसी तरह के आठ मामलों में सामान्य अधिनिर्णयन प्राधिकारी नियुक्त किया जा सकता है, (जिनमें से तीन ग्रेटर नोएडा में स्थित हैं और दिल्ली में पांच) क्योंकि इसमें शामिल मुद्दा एक सा था, ताकि निर्णय में एक समानता बनाए रखी जा सके। आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिल्ली ॥ ने 23 जनवरी 2017 को चीफ आयुक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिल्ली जोन से अनुरोध किया कि वे साझा अधिनिर्णयन प्राधिकारी की नियुक्ति के लिए बोर्ड के साथ मामला उठाएं। इसी तरह के अनुरोध, 28 फरवरी 2017, 09 मार्च 2017, 19 मई 2017, 22 नवंबर 2017, 12 अक्टूबर 2018 और 20 मार्च 2019 को किए गए थे। कई अनुरोधों के बावजूद, बोर्ड ने एक सामान्य अधिनिर्णयन प्राधिकारी नियुक्त नहीं किया और मामले अभी भी अधिनिर्णयन के लिए लंबित हैं। इसके परिणामस्वरूप, 2015 से ₹ 9.27 करोड़ के सरकारी राजस्व पर अभी अधिनिर्णय होना बाकी है।

जब हमने यह इंगित किया (अक्टूबर 2019), तो विभाग ने कहा (दिसंबर 2019) कि सक्षम प्राधिकारी आवश्यक अनुमोदन के लिए बोर्ड से अनुरोध कर रहा था और उसकी ओर से कोई चूक नहीं हुई क्योंकि बोर्ड द्वारा सामान्य अधिनिर्णयन प्राधिकारी के नियुक्त किए जाने के बाद ही कार्रवाई की जा सकती है।

उपरोक्त और विभाग के उत्तर से यह देखा जा सकता है, कि तीन साल बीत जाने के बाद भी ₹ 9.27 करोड़ के राजस्व से जुड़े मामलों के लिए सामान्य अधिनिर्णयन प्राधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई थी। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2020)।

5.13 एससीएन जारी होने से पहले या जारी होने के एक महीने के अंदर शुल्क/कर मांग के भुगतान पर मामलों को बंद करना (एससीएन की छूट)

वित्त अधिनियम 2015 द्वारा सरकार ने 14 मई 2015 से सेवा कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के अंतर्गत शास्तिक प्रावधानों को उदार बनाया है, जिसमें यह प्रावधान है कि, यदि कोई निर्धारिती एससीएन जारी करने से पहले या एससीएन जारी करने के 30 दिनों के अंदर ब्याज के साथ शुल्क/कर का भुगतान करने का इच्छुक है, अग्रलिखित होगा:

(क) गैर-धोखाधड़ी के मामलों में कोई जुर्माना नहीं।

(ख) धोखाधड़ी के मामलों में 15 प्रतिशत की घटी हुई शास्ति।

5.13.1 विव 17 से विव 19 के दौरान देय राशि के भुगतान पर चयनित 116 कार्यालयों में, 17,095 एससीएन को जारी किए बिना बंद कर दिया गया था। हमने ₹ 1,155.69 करोड़ के धन मूल्य से जुड़े 1,020 मामलों की जांच की और तिरुवनंतपुरम कमिश्नरी में ₹ 6.50 करोड़ धनमूल्य सहित 30 मामलों (2.94 प्रतिशत) में अनियमितताएं पाईं। यह अनियमितताएं निर्धारितियों को उनके मामलों में कार्यवाही बंद करने के संबंध में सूचना न देने से संबंधित थीं। इसके अतिरिक्त, हमने नोएडा लेखापरीक्षा कमिश्नरी में पाया कि दो मामलों में, (डीएआर) ₹ 0.66 करोड़ की आपत्ति की गयी राशि का भुगतान सुनिश्चित करने से पहले कार्यवाही बंद कर दी गई थी।

जब हमने यह इंगित किया (नवंबर 2019), तो नोएडा लेखापरीक्षा कमिश्नरी (नवंबर 2019), ने एक मामले में आपत्ति की गयी राशि की वसूली की और दूसरे मामले में विवरण की प्रतीक्षा है। तिरुवनंतपुरम कमिश्नरी का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2020)। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2020)।

5.14 जारी किये जाने हेतु लंबित ड्राफ्ट एससीएन

चयनित 116 कार्यालयों में, 31 मार्च, 2019 तक 203 ड्राफ्ट एससीएन जारी करने के लिए लंबित थे। हमने सभी 203 ड्राफ्ट एससीएन की जांच की जिसमें ₹ 1,282.80 करोड़ का धन मूल्य शामिल है। हमने पुणे ॥ कमिश्नरी में ₹ 35.06 करोड़ के धन मूल्य वाले दो मामलों (0.99 प्रतिशत) में अनियमितताएं देखीं। एक निदर्शी मामला नीचे दिया गया है:

5.14.1 ड्राफ्ट एससीएन (डीएससीएन) की अनुचित ड्राफ्टिंग

बोर्ड के 10 मार्च 2017 के मास्टर सर्कुलर के अनुसार, कारण बताओ नोटिस (एससीएन) चूककर्ता के विरुद्ध किसी भी कानूनी कार्यवाही का शुरुआती बिंदु है। यह उन कार्यवाहियों के लिए पूरा ढांचा निर्धारित करता है जो शुरु की जानी है और इसलिए, इसका मसौदा अत्यंत सावधानी के साथ तैयार किया जाना चाहिए। एससीएन जारी करना एक वैधानिक आवश्यकता है और यह कर देयता से संबंधित किसी भी विवाद के निपटारे या अधिनियम के प्रावधानों और वहां

बनाए गए नियमों के उल्लंघन के लिए की जाने वाली किसी भी दंडात्मक कार्रवाई के लिए मूल दस्तावेज है।

पुणे ॥ कमिश्नरी में, एक निर्धारिती के मामले में ड्राफ्ट एससीएन तैयार किया गया था जिसमें अक्टूबर 2016 से मार्च 2017 की अवधि से संबंधित ₹ 197.77 करोड़ के गलत प्रतिदाय की मांग की गई थी। लेखापरीक्षा जांच से ज्ञात हुआ कि मूल प्रतिदाय देते समय विभाग ने ₹ 17.39 करोड़ का सेनवैट क्रेडिट अस्वीकार माना था। हालांकि, ड्राफ्ट एससीएन में, विभाग द्वारा इस अपात्र सेनवैट क्रेडिट की वापसी/भुगतान की मांग करने की चूक हुई। यह चूक ₹ 17.39 करोड़ तक के राजस्व के नुकसान के जोखिम से भरी थी। इसके अतिरिक्त, यह भी पाया गया कि विभाग ने मई 2017 के महीने में एक एससीएन जारी किया था, जिसमें अप्रैल 2016 से सितंबर 2016 तक की पूर्व अवधि को शामिल करते हुए ₹ 90.91 करोड़ के गलत प्रतिदाय की मांग की गई थी। उक्त एससीएन में भी विभाग ने ₹ 15.24 करोड़ की सीमा तक अस्वीकार्य सेनवैट क्रेडिट की वापसी/भुगतान की मांग नहीं की थी, जिसे मूल प्रतिदाय देते समय अस्वीकार्य ठहराया गया था। इससे सरकारी खजाने को ₹ 15.24 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

हमने दिसंबर 2019 में यह इंगित किया था। विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2020)। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2020)।

5.15 आंतरिक नियंत्रणों का मूल्यांकन

बोर्ड ने दिनांक 23 मई 2003 के पत्र द्वारा कमिश्नरों और चीफ कमिश्नरों को अधिनिर्णयन मामलों के लंबित होने के कारणों का विश्लेषण करने और निगरानी प्रणाली को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए थे। मासिक प्रगति रिपोर्ट (एमपीआर) की एमपीआर डीपीएम-एसटी-1ए और डीपीएम-सीई-1ए में लंबित मामलों के अधिनिर्णयन और उनके निपटान से संबंधित सूचना शामिल है।

5.15.1 रजिस्ट्रों का गैर/अनुचित रखरखाव

बोर्ड ने दिनांक 24 दिसंबर 2008 के अपने परिपत्र में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत रैंज अधिकारियों और सैक्टर अधिकारियों द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कार्यों, जिम्मेदारियों और कर्तव्यों की परिकल्पना की थी जो उचित अभिलेखों/

रजिस्ट्रों के रखरखाव और मासिक सार की समय पर समीक्षा और तैयारी के लिए थी।

116 कार्यालयों में अभिलेखों की जांच के दौरान हमने, गाजियाबाद, गुवाहाटी, अगरतला, मुंबई दक्षिण, पुणे-II, नासिक, त्रिची, चेन्नई उत्तर, भोपाल, दिल्ली दक्षिण, तिरुवनंतपुरम, अहमदाबाद उत्तर, राजकोट, भुवनेश्वर लेखापरीक्षा, नासिक लेखापरीक्षा कमिश्नरी और लखनऊ डीजीजीएसटीआई जोनल यूनिट में रिकॉर्ड, रजिस्ट्रों का गैर/अनियमित रखरखाव देखा। एक उदाहरण नीचे दिया गया है:

5.15.1.1 गाजियाबाद कमिश्नरी के अंतर्गत सीजीएसटी रेंज 28 में, एससीएन की प्रास्थिति देखने के लिए आवश्यक पुष्ट/अपुष्ट रजिस्ट्रों का रखरखाव नहीं किया गया। मुंबई दक्षिण कमिश्नरी में डिवीजन-VII के अंतर्गत रेंज-IV और पुणे-II कमिश्नरी के अंतर्गत डिवीजन-VII में डीएससीएन रजिस्टर नहीं रखे गए थे। लेखापरीक्षा आपत्तियों पर की गई कार्रवाई की प्रगति देखने के लिए सीईआरए लेखापरीक्षा आपत्ति रजिस्टर, पुणे-II कमिश्नरी में नहीं रखा गया पाया गया।

हमारे द्वारा लेखापरीक्षा की गयी चयनित 28 कमिश्नरियों में, हमने पाया कि एससीएन की प्राप्ति और निपटान के मासिक सार सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर से रखे गए नहीं पाए गए थे। उचित रजिस्ट्रों का रखरखाव न करने के कारण, रजिस्टर और एमपीआर में दर्शाए गए आंकड़ें पुणे-II और गाजियाबाद कमिश्नरी में बेमेल नजर आए।

हमने अगस्त 2019 से दिसंबर 2019 में यह इंगित किया। विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2020)। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2020)।

5.16 लेखापरीक्षा को अभिलेख प्रस्तुत न करना

लेखापरीक्षा के दौरान सीएंडएजी के साथ सहयोग के संबंध में बोर्ड के निर्देशों⁹⁴ के बावजूद, विभाग ने पूरी और व्यापक जानकारी, अधिप्राप्त करके और उपलब्ध करवाकर पूरा रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया। लेखापरीक्षा के दौरान विस्तृत जांच के लिए विभाग द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए अभिलेखों का विवरण नीचे तालिका 5.9 में दिया गया है।

⁹⁴ बोर्ड की अर्धशासकीय पत्र संख्या एफ नं.232/मिस डीएपी/2018-सीएक्स-7, दिनांक 26 अप्रैल, 2018

तालिका संख्या 5.9: प्रस्तुत न किये गये रिकॉर्ड

क्र. सं.	लेखापरीक्षिती इकाई	मांगे गए रिकॉर्ड की प्रकृति	प्रस्तुत न किये रिकॉर्ड की संख्या
1.	जमशेदपुर कमिश्नरी	डीएससीएन फाइलें	13
2.	पुणे-॥ कमिश्नरी	एससीएन मामले की फाइलों की छूट	33
3.	जमशेदपुर कमिश्नरी	अधिनिर्णयन के लिए लंबित एससीएन	24
4.	पुणे-॥ कमिश्नरी	अधिनिर्णयन के लिए लंबित एससीएन	6
5.	रायगढ़ कमिश्नरी	अधिनिर्णयन के लिए लंबित एससीएन	24
6.	जमशेदपुर कमिश्नरी	अधिनिर्णीत मामले	16
7.	अगरतला कमिश्नरी	अधिनिर्णीत मामले	4
8.	जमशेदपुर कमिश्नरी	कॉल बुक	1
9.	दिल्ली दक्षिण कमिश्नरी	जीएसटी के कारण रिकॉर्ड का हस्तांतरण	रिकार्ड की सूची उपलब्ध नहीं कराई गई
10.	गुरुग्राम लेखापरीक्षा कमिश्नरी	कुल रिकॉर्ड की सूची	रिकार्ड की सूची उपलब्ध नहीं कराई गई
11.	बेंगलुरु लेखापरीक्षा-1 कमिश्नरी	जीएसटी के कारण रिकॉर्ड का हस्तांतरण	अन्य क्षेत्रीय संरचनाओं से प्राप्त 559 केस फाइलें उपलब्ध नहीं कराई गई। अन्य क्षेत्रीय संरचनाओं को अंतरित की गयी 115 केस फाइलें भी उपलब्ध नहीं कराई गई।
12.	डीजीजीएसटीआई मुख्यालय	जीएसटी के कारण रिकॉर्ड का हस्तांतरण	रिकार्ड की सूची उपलब्ध नहीं कराई गई
13.	डीजीजीएसटीआई जोनल यूनिट (हैदराबाद और कोलकाता)	एससीएन की छूट मामलों की फाइले	45
कुल			843

विभाग द्वारा रिकार्ड प्रस्तुत न करना न केवल लेखापरीक्षा को यह आश्वासन देने से रोकता है कि क्या इन मामलों में संहितीय प्रावधानों और उचित प्रक्रियाओं का पालन किया गया था, बल्कि यह लेखापरीक्षा को रिकार्ड प्रस्तुत करने के संबंध में बोर्ड के निर्देशों का अनुपालन भी नहीं है।

हमने अगस्त 2019 से दिसंबर 2019 तक यह इंगित किया। विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (जून 2020)। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2020)।

5.17 निष्कर्ष

हमने एससीएन जारी करने और अधिनिर्णयन प्रक्रिया के संबंध में लगातार अनुपालन विचलन देखा। हमने 31 मार्च 2019 तक अधिनिर्णयन के लिए लंबित एससीएन की लेखापरीक्षा के दौरान कानून/नियमों में महत्वपूर्ण विचलन देखा जैसेकि एससीएन में मांग की गलत संगणना, एससीएन विलम्ब से जारी करना, अधिनिर्णयन में विलम्ब आदि। जहां पर विव 17 से विव 19 के बीच अधिनिर्णयन किया गया, उनमें विस्तारित अवधि की गलत मांग, एससीएन के देर से जारी होने के कारण आंशिक अवधि की मांग को शामिल न करने, मांग की गलत संगणना, अधिनिर्णयन में देरी, अधिनिर्णयन आदेश के जारी करने में देरी, मामले की फाइल में दस्तावेजों की अनुपलब्धता आदि से संबंधित अनियमितताएं शामिल थीं। जिसके परिणामस्वरूप मांग आदि को छोड़ दिया गया। जहां तक 31 मार्च 2019 को कॉल बुक में रखे गए एससीएन का संबंध है, इसमें आवधिक एससीएन जारी न करने, कॉल बुक में रखे गए एससीएन में मांग की कम संगणना, कॉल बुक में एससीएन का गलत हस्तांतरण, कॉल बुक से मामलों की गैर/विलंबित पुनर्प्राप्ति, कॉल बुक की आवधिक समीक्षा न करने, एससीएन को कॉल बुक में हस्तांतरण करने से पहले सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन न होने आदि से संबंधित अनियमितताएं पाई गईं। इसके अतिरिक्त, हमने रिमांड मामलों में अनियमितताओं, एससीएन को छूट और जारी करने के लिए लंबित ड्राफ्ट एससीएन में भी अनियमितताओं को पाया। हमने जीएसटी पारगमन के दौरान अधिनिर्णयन रिकॉर्ड के हस्तांतरण की भी समीक्षा की और कोई महत्वपूर्ण अवलोकन नहीं पाया।

हमने प्रभावी निगरानी तंत्र की कमी, सीबीआईसी क्षेत्रीय संरचनाओं के बीच अपर्याप्त समन्वय, बोर्ड द्वारा स्पष्टीकरण जारी करने में देरी, सीबीआईसी

क्षेत्रीय संरचनाओं द्वारा जांच/सत्यापन में देरी, सामान्य अधिनिर्णयन प्राधिकारी की नियुक्ति में देरी, मामले की फाइलों में अभिलेखों की अनुपलब्धता आदि की लेखापरीक्षा द्वारा पायी गयी कई अनियमितताओं के लिए कारणों के रूप में पहचान की। इसके अतिरिक्त विभाग ने जीएसटी में बदलाव, स्टाफ की कमी, मामलों के अधिक लंबित होने, अधिनिर्णयन प्राधिकारी में लगातार बदलाव, अभिलेखों के हस्तांतरण में देरी आदि को अधिनिर्णयन में देरी का कारण और लेखापरीक्षा में पाई गई अन्य अनियमितताओं को बताया।

5.18 सिफारिशें

अधिनिर्णयन प्रक्रिया में लगातार देरी, मैनुअल गलतियों और लेखापरीक्षा में पाई गई अन्य अनियमितताओं को दूर करने और एससीएन की निगरानी को मजबूत करने के लिए विभाग निम्नलिखित घटकों के साथ एससीएन और अधिनिर्णयन प्रक्रिया के एंड-टू-एंड कंप्यूटरीकरण/स्वचालन पर विचार कर सकता है:

(i) एससीएन जारी करने की प्रक्रिया को इनबिल्ट कंट्रोल के साथ कंप्यूटरीकृत किया जाए ताकि मांग की सही संगणना, एससीएन को समय पर जारी किया जाना, विस्तारित समयावधि की वैध मांग करना और जारी एससीएन की सटीकता सुनिश्चित की जा सके।

(ii) प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने, व्यक्तिगत सुनवाई आयोजित करने और ओआईओ को समय पर जारी करने के लिए इनबिल्ट नियंत्रणों के साथ अधिनिर्णयन प्रक्रिया का कंप्यूटरीकरण।

(iii) आवधिक एससीएन जारी करना, कॉल बुक से एससीएन को समय पर पुनः प्राप्त करना, कॉल बुक में मामलों के हस्तांतरण के संबंध में निर्धारिती को सूचना देना, कॉल बुक में एससीएन के स्थानांतरण से पहले सक्षम प्राधिकारी का पूर्व अनुमोदन और वैध मामलों को कॉल बुक में स्थानांतरित करने के संबंध में नियंत्रण को सुनिश्चित करने के लिए कॉल बुक के रखरखाव को इनबिल्ट मैकेनिज्म के साथ कंप्यूटरीकृत किया जाए।